

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4378
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली

4378. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर के ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियों की संस्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने संयंत्रों की स्थापना पूरी हो चुकी है;

(ख) पर्यावरणीय विनियमों द्वारा अधिदेशित उत्सर्जन नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफजीडी संस्थापनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) सरकार द्वारा संस्थापना प्रक्रिया में पेश आ रही वित्तीय बाधाओं, तकनीकी समस्याओं अथवा विलंब जैसी चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारत की उत्सर्जन में कटौती संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एफजीडी संस्थापना की समय-सीमा के अनिवार्य अनुपालन को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना के लिए कुल 537 यूनिट [2,04,160 मेगावाट] चिह्नित की गई है। इनमें से 49 यूनिट (25,590 मेगावाट) में एफजीडी की संस्थापना पूरी हो चुकी है, 211 यूनिट (91,880 मेगावाट) में संविदा अवाई की गई /कार्यान्वयनाधीन हैं, 180 यूनिट (58,997 मेगावाट) निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और 97 यूनिट (27,693 मेगावाट) निविदा-पूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।

(ख) से (घ) : पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने दिनांक 30.12.2024 की अपनी संशोधित अधिसूचना के माध्यम से टीपीपी के लिए SO₂ उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित समयसीमा निर्धारित की है:

क्रम सं.	श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	अनुपालन के लिए समय-सीमा (नॉन-रिटायरिंग यूनिट)	अनुपालन से छूट के लिए यूनिटों की समय-सीमा की अंतिम तिथि
1	प्रवर्ग क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की 10 किलोमीटर परिधि के भीतर	31 दिसंबर, 2027 तक	31 दिसंबर, 2030 तक

2	प्रवर्ग ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों की 10 किलोमीटर परिधि के भीतर	31 दिसंबर, 2028 तक
3	प्रवर्ग ग	प्रवर्ग क और ख में सम्मिलित से भिन्न	31 दिसंबर, 2029 तक

निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालन के मामले में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नॉन-रिटायरिंग ताप विद्युत संयंत्र पर निम्नलिखित पर्यावरण प्रतिकर निर्धारित किया है:

समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालन प्रचालन	पर्यावरण प्रतिकर (₹. प्रति यूनिट जनित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उसके बाद	0.40

ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान ताप विद्युत संयंत्र के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दे/चुनौतियां निम्नानुसार हैं:

- (i) एफजीडी प्रौद्योगिकी हमारे देश के लिए नई है, इसलिए वर्तमान में सीमित विक्रेता हैं जिनके पास एफजीडी घटकों की आपूर्ति और संस्थापना करने की सीमित क्षमता है। देश में एफजीडी संस्थापना के लिए विक्रेता की क्षमता लगभग 16-20 गीगावाट प्रति वर्ष (33 से 39 यूनिट) है और संस्थापना का समय लगभग 36 से 40 महीने है, जिसके कारण एफजीडी उपकरणों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो गया है, जिससे लागत और देरी बढ़ रही है।
- (ii) भारत में 70% एफजीडी घटकों की विनिर्माण क्षमता थी जो अब समय बीतने के साथ बढ़कर 80% हो गई है। तथापि, यह अभी भी प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण उपकरण और कुशल जनशक्ति के आयात के लिए अन्य देशों से आयात पर निर्भर है।
- (iii) एफजीडी प्रणालियों की संस्थापना एक नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) परियोजना की तरह है, जिसमें अवधारणा और डिजाइन चुनौतियों के संदर्भ में विशिष्ट कठिनाइयां हैं। मानकीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि विभिन्न साइटों की अलग-अलग आवश्यकताएं हैं जैसे कि स्थान की कमी, ले-आउट और अभिविन्यास आदि।

उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए, विक्रेताओं को अपनी क्षमता बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सभी एफजीडी भागों का स्वदेशी उत्पादन अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4386
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

जलविद्युत उत्पादन में उतार-चढ़ाव

4386. श्री गुरमीत सिंह मीत हाथेर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 में व्यस्ततम समय के दौरान दर्ज की गई बिजली की अधिकतम मांग और तदनुरूप बिजली की अधिकतम कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025 के लिए व्यस्ततम समय के दौरान बिजली की अनुमानित अधिकतम मांग और संभावित कमी के आंकलन का ब्यौरा क्या है तथा इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) जलविद्युत उत्पादन में उतार-चढ़ाव ने 2024 में किस प्रकार समग्र बिजली उपलब्धता को प्रभावित किया है और सरकार द्वारा भविष्य में इसी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2025 के लिए क्षमता संवर्धन संबंधी क्या विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के लिए अखिल भारतीय अधिकतम मांग **2,49,856** मेगावाट थी जो दिनांक 30.05.2024 को हुई। इस अधिकतम मांग को केवल 2 मेगावाट के मामूली अंतर के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

(ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश में वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 470 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 238 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता वाले देश में बदल रहा है। इसके अतिरिक्त,

वर्ष 2014 से अब तक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत पहुंचाने की क्षमता के साथ 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइन, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता का संवर्धन किया गया है।

20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वर्ष 2025-26 में देश की अखिल भारतीय अधिकतम मांग 277 गीगावाट रहने की उम्मीद है। देश को मौजूदा और निर्माणाधीन क्षमताओं के बेहतर उपयोग से इस अनुमानित मांग को पूरा करने का भरोसा है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी जेनको को नियोजित रखरखाव या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर उत्पादन करने और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है।
- (ii) हाइड्रो आधारित उत्पादन को इस तरह से निर्धारित किया जा रहा है ताकि उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके।
- (iii) अधिकतम मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिट के नियोजित रखरखाव को न्यूनतम किया जा रहा है।
- (iv) समयबद्ध संवर्धन के लिए नई विद्युत उत्पादन क्षमता की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है।
- (v) ईंधन की कमी से बचने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- (vi) विद्युत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को अपनी पूर्ण क्षमता से प्रचालन एवं विद्युत उत्पादन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- (vii) एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ अन्य उत्पादकों को उच्च विद्युत मांग अवधि के दौरान शेड्यूल किया जा रहा है।
- (viii) सरकार ने विनियामक ढांचे के माध्यम से विद्युत व्यापार की सुविधा दी है, जिसके तहत अधिशेष उत्पादन वाले राज्य तीन (3) विद्युत एक्सचेंजों अर्थात भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से हानि वाले राज्यों को विद्युत बेच सकते हैं।
- (ix) विद्युत एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपीडीएम) को जोड़कर विद्युत बाजार में सुधार किया

गया है। इसके अलावा, ई-बोली के लिए दीप पोर्टल और डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत खरीद के लिए ई-रिवर्स भी है।

(ग) : वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025) के दौरान जल विद्युत उत्पादन 1,39,780 मिलियन यूनिट (एमयू) था, जबकि वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान यह 1,27,038 एमयू था, जो जल विद्युत उत्पादन में 10% की वृद्धि दर्शाता है। जल विद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन में किसी भी कमी/भिन्नता को ताप विद्युत उत्पादन में संगत परिवर्तन के साथ नियंत्रित किया जाता है, ताकि विद्युत की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

(घ) : सरकार ने राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संसाधनों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके:

- i. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क के विकास की योजना बनाई जा रही है। एंकरिंग वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, हानि न्यूनीकरण आदि के संदर्भ में बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय नेटवर्क के साथ आईएसटीएस नवीकरणीय ऊर्जा स्कीमों का मजबूत इंटरकनेक्शन बनाया जा रहा है।
- ii. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत राज्यों को उनके राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण हेतु पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।
- iii. पारेषण सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए भंडारण सुविधाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- iv. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता को समाधान करने के लिए तापीय उत्पादन में अनुकूलन अनिवार्य है।
- v. सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन देने से पहले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उक्त विनियमों के अनुपालन का सत्यापन केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/आरएलडीसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। किसी भी नए संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से पहले अनुपालन का पुख्ता सत्यापन किया जाता है।
- vi. भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को आकस्मिकताओं के मामले में प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में भाग लेना अनिवार्य है। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे कि बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) और पीएसपी (पंप भंडारण परियोजना) को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।
- vii. सौर और पवन संयंत्रों की निगरानी, पूर्वानुमान और समय-निर्धारण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों और क्षेत्रों में 13 समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों (आरईएमसी) की स्थापना।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्षमता संवर्धन का विवरण **अनुबंध** पर है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्षमता संवर्धन का विवरण:

परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग शेड्यूल
ताप (दिनांक 10.03.2025 तक)					
केंद्रीय क्षेत्र				4,900 एमडबल्यू	
घाटमपुर टीपीपी	एनयूपीपीएल	यू-2	उत्तर प्रदेश	660	मई-25
बक्सर टीपीपी	एसजेवीएन	यू-1	बिहार	660	मई-25
खुर्जा एससीटीपीपी	टीएचडीसी	यू-2	उत्तर प्रदेश	660	जून-25
बक्सर टीपीपी	एसजेवीएन	यू-2	बिहार	660	सितम्बर-25
घाटमपुर टीपीपी	एनयूपीपीएल	यू-3	उत्तर प्रदेश	660	अक्टूबर-25
पतरातू एसटीपीपी	पीवीयूएनएल	यू-2	झारखंड	800	दिसम्बर-25
पतरातू एसटीपीपी	पीवीयूएनएल	यू-3	झारखंड	800	मार्च-26
राज्य क्षेत्र				4,380 एमडबल्यू	
उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I	टेनजेडको	य-1	तमिलनाडु	660	मई-25
सागरदिघी टीपीपी चरण-III	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-1	पश्चिम बंगाल	660	मई-25
यदाद्री टीपीएस	टीएसजेन्को	यू-4	तेलंगाना	800	जून-25
यदाद्री टीपीएस	टीएसजेन्को	यू-3	तेलंगाना	800	जुलाई-25
उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I	टेनजेडको	यू-2	तमिलनाडु	660	अगस्त-25
यदाद्री टीपीएस	टीएसजेन्को	यू-5	तेलंगाना	800	सितम्बर-25
निजी क्षेत्र				0	
कुल ताप (केंद्र + राज्य + निजी)				9,280	
हाइड्रो (दिनांक 12.03.2025 तक)					
केंद्रीय क्षेत्र				3,170 एमडबल्यू	
पारबती-II	एनएचपीसी	यू-1 से 4	हिमाचल प्रदेश	800	मार्च-25
रंगित-IV	एनएचपीसी	यू-1 से 3	सिक्किम	120	दिसम्बर-25
सुबनसिरी लोअर	एनएचपीसी	यू-1 से 5	अरुणाचल प्रदेश	1250	दिसम्बर-25
टेहरी पीएसएस	टीएचडीसी	यू-1 से 4	उत्तराखंड	1000	अक्टूबर-25
राज्य क्षेत्र				950 एमडबल्यू	
उहल-III	बीवीपीसीएल	यू-1 से 3	हिमाचल प्रदेश	100	मार्च-25
लोअर सिलेरू एक्सटेंशन	एपीजेनको	यू-1 से 2	आंध्र प्रदेश	230	अक्टूबर-25
लोअर कोपिली	एपीजीसीएल	यू-1 से 5	असम	120	सितम्बर-25
कुंदा पंप भंडारण (चरण-I, चरण-II और चरण-III)	टेनजेडको	यू-1 से 4	तमिलनाडु	500	दिसम्बर-25

परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग शेड्यूल
निजी क्षेत्र				1,920 एमडबल्यू	
कुटेहर	जेएसडबल्यू	यू-1 से 3	हिमाचल प्रदेश	240	जुलाई-25
पिन्नापुरम	ग्रीनको	यू-1 से 8	आंध्र प्रदेश	1680	जुलाई-25
कुल हाइड्रो (केंद्र + राज्य + निजी)				6,040 एमडबल्यू	
<u>न्यूक्लियर</u>					
केंद्रीय क्षेत्र				5,900 एमडबल्यू	
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र	एनपीसीआईएल	यू-3	तमिलनाडु	4000	मार्च-26
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर)	बीएचएवीआईएनआई		तमिलनाडु	500	2025-26
राजस्थान एटॉमिक विद्युत स्टेशन (आरएपीएस)	एनपीसीआईएल	यू-7 से 8	राजस्थान	1400	2025-26
कुल (ताप + हाइड्रो+परमाणु)				21,220 एमडबल्यू	

नवीकरणीय ऊर्जा :

84,310 मेगावाट सौर, 28,280 मेगावाट पवन और 40,890 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,53,920 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है। इसमें से 34855 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2025-26 तक जुड़ने की संभावना है।

ऊर्जा भंडारण परियोजना:

ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 13,050 मेगावाट/78,300 मेगावाट घंटा पम्प भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन/सहमति प्राप्त कर चुकी हैं तथा 14,970 मेगावाट/54,803 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें से 6853 मेगावाट/36,592 मेगावाट घंटा ऊर्जा भंडारण प्रणाली (3,180 मेगावाट/19,080 मेगावाट पंप भंडारण परियोजनाएं और 3,673 मेगावाट/17,512 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) वर्ष 2025-26 तक जोड़े जाने की संभावना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4427
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य

4427. श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

श्री देवसिंह चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस वार्ता का भारत द्वारा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में क्या योगदान है;

(ख) यूनाइटेड किंगडम ग्रिड लचीलापन और ऊर्जा भंडारण समाधानों को सुदृढ़ करने में भारत की किस प्रकार सहायता करेगा;

(ग) इस वार्ता के अंतर्गत भारत के ऊर्जा संक्रमण में हरित हाइड्रोजन और अपतटीय पवन ऊर्जा क्या भूमिका निभाएंगे; और

(घ) ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए क्या प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष अथवा ज्ञान के आदान-प्रदान संबंधी पहलें प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : निवल-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी उपायों और वित्तीय उपायों सहित विभिन्न उपायों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आयोजित संवाद, अन्य देशों के भागीदार संगठनों और वैश्विक संगठनों के बीच ज्ञान साझा करने के माध्यम से निवल-शून्य की दिशा में भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। वर्ष 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान, जी-20 नई दिल्ली अध्यक्षता घोषणापत्र जारी किया गया जिसमें निम्न-जीएचजी/निम्न-कार्बन उत्सर्जन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई।

(ख) से (ग) : चौथी भारत-यूके मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता, जिसकी सह-अध्यक्षता विद्युत मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो विभाग (डीईएसएनजेड) के राज्य सचिव (एसओएस) द्वारा की गई, फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

इस संवाद के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। यह सुझाव दिया गया कि संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) पर काम जारी रखा जाए, स्मार्ट मीटर शुरू किए जाएं, आउटेज प्रबंधन के लिए डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रिड उन्नयन किया जाए और आरडीएसएस के तहत नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और परिसंपत्ति निगरानी की जाए। ब्रिटेन-भारत सहयोग के तहत भारत में स्मार्ट विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने (एस्पायर) कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन ने तमिलनाडु और गुजरात के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा निविदाओं के विकास, कुछ राज्यों के लिए हरित हाइड्रोजन नीतियों, ऊर्जा भंडारण के लिए 1 गीगावाट घंटे की निविदाओं के विकास के लिए ज्ञान साझा किया तथा भारत में सौर विनिर्माण को बढ़ाने के लिए इनपुट प्रदान किए।

(घ) : विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता पहलों में मोटे तौर पर उपकरणों के न्यूनतम ऊर्जा कार्यनिष्पादन मानकों में सुधार, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में ऊर्जा संरक्षण और स्थिर भवन कोड का कार्यान्वयन, उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण उपायों में वृद्धि, परिवहन क्षेत्र में ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4431
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटरों का धीमी गति से लगाया जाना

4431. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्मार्ट मीटरों के लिए आसान रिचार्ज और शिकायत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उन कतिपय क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरों को स्थापित करने की धीमी गति की जानकारी है, जहां प्रगति धीमी रही है और अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, 117.7 मिलियन में से केवल 14.5 मिलियन मीटर ही स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर सांगली जैसे जिलों में इसका सुदृढ़ कार्यान्वयन और व्यापक रूप से स्थापित करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के तहत, हानि न्यूनीकरण वाली अवसंरचना एवं स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) के तहत संस्वीकृत 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर के कुल लक्ष्य में से, देश में लगभग 1.36 करोड़ (6.7%) स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। विद्युत मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न वितरण यूटिलिटी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति की समीक्षा कर रहा है और आवश्यक कदम उठा रहा है।

स्मार्ट मीटरों की संस्थापना निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुई है:

- स्मार्ट मीटर एक नई अवधारणा होने के कारण निविदाएं जारी करने और भुगतान के लिए प्रत्यक्ष डेबिट सुविधा तंत्र की स्थापना में देरी हुई।
- उपभोक्ता अनुक्रमण के लिए डेटा का संग्रहण और सत्यापन।

- परीक्षण और अनुमोदन में लगने वाला समय जैसे क्षेत्र संस्थापना और एकीकरण परीक्षण, फैक्टरी स्वीकृति परीक्षण और इसी प्रकार का अन्य परीक्षण।

स्मार्ट मीटरों को प्रासंगिक तकनीकी और गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक है और उनके पास वैध परीक्षण और बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणपत्र होना चाहिए। शिकायत निवारण के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया है।

भारत सरकार ने स्मार्ट मीटर संस्थापना और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता की सेवाएं लेने के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) जारी किया है। एसबीडी के खंड 2.5 धारा 6 में आसान रिचार्ज विकल्प प्रदान करने तथा उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करने/समाधान करने के लिए यूजर इंटरफेस बनाने का प्रावधान है। संदर्भ के लिए, सांगली जिले के लिए आसान रिचार्ज तथा शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप-‘महा विद्युत’ उपलब्ध कराया गया है।

महाराष्ट्र के सांगली जिले सहित देश भर में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं:

- स्मार्ट मीटरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, जिसमें बहुविध रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने, उपभोक्ता फीडबैक तंत्र, प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र और व्यापक उपभोक्ता सहभागिता अभियान आदि के प्रावधान शामिल हैं।
- स्मार्ट मीटर फीडबैक संग्रह यूनिट की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
- वितरण यूटिलिटी को विद्युत की खपत पर नियमित रूप से नजर रखने तथा एक से अधिक बार रिचार्ज करने के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप तैयार करने को कहा गया है।
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रीपेड उपभोक्ताओं को 5% तक की छूट प्रदान करने की सलाह दी गई है।
- स्मार्ट मीटर कार्यों की निविदा और अवार्ड तथा उनकी संस्थापना पर राज्यों और वितरण यूटिलिटी के साथ प्रगति की नियमित समीक्षा।
- वितरण यूटिलिटी को संस्थापित स्मार्ट मीटरों के 5% तक के लिए चेक मीटर लगाने की सलाह दी गई है तथा स्मार्ट मीटरों से संबंधित शिकायतों के मामले में इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
- सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी कॉलोनियों और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं तथा अन्य उच्च भार वाले उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता देने के लिए परामर्श जारी किया गया है। उपर्युक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं में सफल प्रदर्शन के आधार पर, अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट मीटर की संस्थापना की जा सकती है। साथ ही, परामर्श में स्मार्ट मीटर के संबंध में नियमित उपभोक्ता सहभागिता अभ्यास का सुझाव दिया गया है ताकि उपभोक्ता का विश्वास बनाया जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4435
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

4435. श्री पी.वी.मिथुन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) को इस योजना की जगह वर्ष 2026-27 तक नई आरंभ की गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस परिवर्तन के कारण इन उपभोक्ताओं को होने वाले वास्तविक लाभ का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन अन्य देशों के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है जिन्होंने अधिगम और व्यापार हेतु इसी प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित/घोषित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : अभिचिह्नित क्षेत्रों में नामित उपभोक्ताओं को वर्ष 2026-27 तक धीरे-धीरे निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली (सीसीटीएस) में स्थानांतरित किए जाने की उम्मीद है।

(ख) : विद्युत मंत्रालय ने ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप इन नामित उपभोक्ताओं (डीसी) को मिलने वाले वास्तविक लाभों का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया है।

पीएटी स्कीम के तहत, बाध्य संस्थाओं के लिए लक्ष्य ऊर्जा बचत के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं, जबकि सीसीटीएस के तहत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन उत्सर्जन लक्ष्यों का अनुपालन संस्थाओं को ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन में कमी से लाभ उठाने में मदद करता है, जिससे उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, जो संस्थाएँ अपने निर्धारित लक्ष्यों को पार करती हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र मिलते हैं, जिनका मुद्रीकरण किया जा सकता है।

(ग) : वर्तमान में विद्युत मंत्रालय के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, सीसीटीएस के डिजाइन में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख को शामिल किया जा रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4447
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षमता

4447. श्री इमरान मसूद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015 से देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हाल के वर्षों में कोयले के आयात के कारण विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्षवार विवरण अनुबंध पर है।

(ख) : भारत सरकार ने वर्ष 2014 से देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) मार्च, 2014 में 2,48,554 मेगावाट से फरवरी, 2025 तक 4,70,448 मेगावाट तक संस्थापित क्षमता में वृद्धि, जिसमें इस अवधि के दौरान कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता 1,39,663 मेगावाट से बढ़कर 2,15,193 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) (बड़े हाइड्रो सहित) की स्थापित क्षमता 75,519 मेगावाट से बढ़कर 2,14,678 मेगावाट हो जाना शामिल है।
- (ii) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत पहुंचाने की क्षमता के साथ 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारिषण लाइन, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता का संवर्धन।

- (iii) सौर, पवन, पम्प भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पन्न विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभारों में छूट।
- (iv) नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्टरी वर्ष 2029-30 तक।
- (v) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण तथा 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना।
- (vi) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- (vii) एटीएंडसी हानियों में वर्ष 2013-14 के 22.62% से वर्ष 2023-24 में 16.28% तक की कमी। जेनको के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनको की पिछली बकाया राशि 1,39,947 करोड़ रुपये से घटकर 18,857 करोड़ रुपये हो गई है।
- (viii) वर्ष 2019 में, सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपायों जैसे कि बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (> 25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना, जलविद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय, बाढ़ नियंत्रण / भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता, सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता, अर्थात् सड़कें / पुल, आदि की घोषणा की। सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता का कार्यक्षेत्र बाद में दिनांक 08.10.2024 को विस्तारित किया गया है जिसमें निम्न शामिल हैं: (क) कूलिंग सब-स्टेशनों के उन्नयन सहित निकटतम कूलिंग बिंदु तक पारेषण लाइन, (ख) रेलवे साइडिंग, (ग) संचार अवसंरचना, और (घ) रोपवे।
- (ix) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के पारदर्शी आवंटन के लिए शक्ति नीति की शुरुआत की गई। इससे ताप विद्युत संयंत्रों को कुशल घरेलू कोयला आवंटन संभव हुआ और साथ ही विभिन्न संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार भी सुनिश्चित हुआ।
- (x) उत्पादन क्षमता से आगे अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण।

(ग) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की लागत कोयले की कीमत और माल ढुलाई की लागत पर निर्भर करती है, तथा सम्मिश्रण के मामले में मिश्रित आयातित कोयले की कीमत पर भी निर्भर करती है। आयातित कोयले की कीमत अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों, उत्पत्ति के स्रोत और समुद्री माल ढुलाई, बीमा आदि जैसे कारकों से जुड़ी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति परिदृश्य के साथ बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उत्पादन कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आयातित कोयले का उपभोग करती है।

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच औसत विद्युत खरीद लागत में 5 पैसे की कमी आई है।

(घ) : भारत सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- (i) निष्पक्ष, तटस्थ, कुशल और सुदृढ़ विद्युत मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए पावर एक्सचेंजों की स्थापना।
- (ii) राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको) द्वारा घरेलू कोयले के उपयोग में अनुकूलन लाना।
- (iii) परिवहन लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिंकेज स्रोतों को युक्तिसंगत बनाने की अनुमति दी गई है।
- (iv) वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी करना।
- (v) आरडीएसएस के तहत कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी से यूटिलिटी के वित्त में सुधार होगा, जो उन्हें प्रणाली को बेहतर ढंग से बनाए रखने और आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत खरीदने में सक्षम बनाएगा; जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
- (vi) उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का प्रचालन।

देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्ष वार विवरण वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 तक (फरवरी, 2025 तक)

वर्ष	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
2014-15	2,75,895
2015-16	3,06,330
2016-17	3,28,146
2017-18	3,45,631
2018-19	3,57,871
2019-20	3,71,334
2020-21	3,83,521
2021-22	3,99,497
2022-23	4,16,059
2023-24	4,41,970
2024-25 (फरवरी, 2025 तक)	4,70,448

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4454

दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजनौर और मुरादाबाद में विद्युतीकरण

4454. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अभी भी वंचित गांवों और बस्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनके पूर्ण विद्युतीकरण के लिए लक्षित समय-सीमा क्या है;

(ग) मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कौन-कौन सी एजेंसियां नियुक्त की गईं और इसके रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उक्त जिलों में बिजली आपूर्ति के वर्तमान घंटे, भार और विद्युत की आवश्यकता क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें मुरादाबाद के 12 गांव और बिजनौर जिले के 256 गांव शामिल हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में कोई भी गांव इस स्कीम से वंचित नहीं है। दिनांक 31.03.2022 को यह स्कीम बंद हो चुकी है।

(ग) और (घ) : डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में संस्वीकृत और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

जिले	संस्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना समापन राशि	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	एजेंसी
मुरादाबाद	284.58	247.77	198.09	1. मैसर्स आईएलएंडएफएस 2. मैसर्स कोस्मिक इंटरप्राइजेज
बिजनौर	449.31	412.03	314.72	1. मैसर्स विश्वनाथ 2. मैसर्स सत्य साई 3. मैसर्स जीनस

विद्युत एक समवर्ती विषय है और राज्यों में वितरण परिसंपत्तियों के रखरखाव सहित विद्युत वितरण का कार्य सामान्यतः राज्य वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है, जैसा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है तथा यह कार्य राज्य विद्युत विभागों के संपूर्ण पर्यवेक्षण में होता है। तदनुसार, अनुरक्षण कार्यों से संबंधित विवरण का रखरखाव भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

भारत सरकार ने वितरण यूटिलिटी को प्रचालन दक्ष और वित्तीय रूप से व्यवहार्य वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। स्कीम के अंतर्गत हानि कम करने वाली अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृति जिला-वार दी गई, जबकि निधि संवितरण दिशानिर्देश के अनुसार डिस्कॉम-वार जारी किया जाता है।

मुरादाबाद और बिजनौर जिले पीवीवीएनएल डिस्कॉम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत मुरादाबाद और बिजनौर जिले में संस्वीकृत राशि तथा पीवीवीएनएल द्वारा जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)				
जिला	संस्वीकृत लागत	जीबीएस संस्वीकृत	पीवीवीएनएल को भारत सरकार द्वारा जारी	उपयोग निधि
मुरादाबाद	679.07	280.11	380.86	844.32
बिजनौर	847.53	226.64		

बिजनौर और मुरादाबाद जिले में आरडीएसएस कार्य के लिए एजेंसियां निम्नानुसार हैं:

जिला	स्मार्ट मीटरिंग	हानि में कमी
मुरादाबाद	इंटेली स्मार्ट	एनसीसी लिमिटेड
बिजनौर	इंटेली स्मार्ट	एनसीसी लिमिटेड

विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं।

राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग प्रणाली के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुरादाबाद और बिजनौर जिलों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

जिला	विद्युत आपूर्ति के घंटे	
	शहरी	ग्रामीण
मुरादाबाद	23.06 घंटे	21.15 घंटे
बिजनौर	22.22 घंटे	20.12 घंटे

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4470
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता

4470. श्री दिनेशभाई मकवाणा:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री अरूण गोविल:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री नव चरण माझी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री दिलीप शङ्कीया:
श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार देशभर में विद्युत कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने की दिशा में किस प्रकार कार्य कर रही है;
- (ख) विद्युत लागत को कम करने और डिस्कॉम की संवहनीयता में वृद्धि करने में नवीकरणीय ऊर्जा की क्या भूमिका है;
- (ग) सरकार लागत को ध्यान में रखते हुए विद्युत प्रशुल्क में सुधार लाने के लिए विनियामक ढांचे को किस प्रकार सुदृढ़ करने की योजना बना रही है; और
- (घ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार (जीओआई) विभिन्न पहलों के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

- i. संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) को वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत धनराशि जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी से जुड़ा है, जो आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच अंतर अर्थात एसीएस-एआरआर अंतर और समय तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों सहित निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार अपने निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपाय करते हैं।

- ii. यदि वितरण यूटिलिटी हानि कम करने के उपायों को लागू करती है तो राज्य को जीएसडीपी के 0.5% के समतुल्य अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति देना।
- iii. राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं जो निर्धारित मापदंडों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन पर निर्भर है।
- iv. टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करना और टैरिफ आदेश जारी करना।
- v. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें मूल्य संचरित हो और समय पर प्राप्त की जाएं।
- vi. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में ~22% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में ~16.28% हो गई है और इसी अवधि के दौरान एसीएस-एआरआर अंतर 0.71 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

(ख) : नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से यदि भार केंद्रों के निकट उत्पादित की जाए, तो इससे विद्युत की लागत कम होगी तथा वितरण यूटिलिटी की स्थिरता बढ़ेगी।

(ग) : लागत-प्रतिबिंबित विद्युत शुल्क में सुधार के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। इसके लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं:

- (i) यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ लागत को प्रतिबिंबित करेगा और प्राकृतिक आपदा की स्थिति को छोड़कर अनुमानित और अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के बीच कोई अंतर नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा अंतर, यदि कोई हो, अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (ii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहमत और किसी भी राष्ट्रीय योजना या कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित ट्रेजेक्ट्री के साथ समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी के ट्रेजेक्ट्री को संरेखित करना।
- (iii) उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और संसाधन पर्याप्तता योजना के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए विद्युत क्रय की विवेकपूर्ण लागतों को मूल्य संचरित करना।
- (iv) उचित इक्विटी पर लाभ (आरओई) प्रदान करना और इसे उत्पादन और पारेषण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट आरओई के साथ संरेखित करना।
- (v) टैरिफ आदेश का समय पर जारी करना और राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी का समय पर भुगतान करना।

(घ) : संसदीय क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- i. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।
- ii. 30 जून 2025 तक चालू होने वाली सौर और पवन ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क माफ कर दिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए, छूट 31 दिसंबर 2030 तक है और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए, छूट 31 दिसंबर 2032 तक है।
- iii. नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण पहुंच प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- iv. टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत क्रय के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- v. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) आदि जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- vi. नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता के निर्माण के माध्यम से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी।
- vii. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट शुरू किया गया है।
- viii. वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण स्कीम।
- ix. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4471
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में ताप विद्युत परियोजनाएं

4471. श्री अ. मनि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश में कितनी ताप विद्युत परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं;

(ख) देश में ताप विद्युत क्षमता का विस्तार करने के सरकार के प्रस्ताव के पीछे क्या औचित्य है और आगामी परियोजनाओं के लिए कितने मेगावाट क्षमता वृद्धि के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं, उनके स्थान, चालू की होने अपेक्षित समय-सीमा और अनुमानित वित्तीय परिव्यय की रूपरेखा देने वाली कोई विस्तृत योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार किस प्रकार से ताप विद्युत क्षमता के विस्तार को नवीकरणीय ऊर्जा का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ख) और (ग) : वर्ष 2031-32 तक अनुमानित विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उत्पादन योजना अध्ययन किया गया है। अध्ययन के परिणामों के अनुसार, यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2032 में देश की आधार भार आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आवश्यक कोयला और लिग्नाइट आधारित संस्थापित क्षमता 283 गीगावाट होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार (जीओआई) ने नवंबर, 2023 में वर्ष 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80,000 मेगावाट कोयला आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

इस लक्ष्य के निमित्त वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में कुल 9,350 मेगावाट की कोयला आधारित क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है और वर्तमान में 32,300 मेगावाट की तापीय क्षमता निर्माणाधीन है। वित्त वर्ष 2024-25 में 23,440 मेगावाट तापीय क्षमता के लिए अनुबंध अवार्ड किए गए हैं, जिनमें से लगभग 8,000 मेगावाट अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा, 35,180 मेगावाट की कोयला आधारित कैंडिडेट क्षमता चिह्नित की गई है जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है। इसमें ब्राउनफील्ड विस्तार और ग्रीनफील्ड क्षमता दोनों शामिल हैं।

देश में कुल 23 कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं (43 इकाइयां) विकसित (निर्माणाधीन) की जा रही हैं जिनमें तमिलनाडु राज्य में 3 कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं (5 इकाइयां) शामिल हैं। निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की रूपरेखा और उनके स्थान तथा चालू होने की अपेक्षित समयसीमा की विस्तृत योजना **अनुबंध-1** पर दिया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना में कोयला आधारित नई ताप विद्युत क्षमता संस्थापित करने के लिए अनुमानित पूंजी लागत 8.34 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट (2021-22 मूल्य स्तर पर) है। इसलिए, 80,000 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता वृद्धि के लिए वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 6,67,200 करोड़ रुपये का व्यय होने की उम्मीद है।

(घ) : चूंकि देश की आधार भार आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताप विद्युत क्षमता का विस्तार आवश्यक है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत अपने इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 47.3 प्रतिशत संस्थापित क्षमता पहले ही हासिल कर ली है। नवीकरणीय ऊर्जा विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- i. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्ट्री जारी किया है।
- ii. स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- iii. 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली(आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं, दिसंबर 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए और दिसंबर 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए।
- iv. नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाया जाएगा।
- v. ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत क्रय के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- vi. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमे शुरू की गई हैं।
- vii. बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की योजना लागू की जा रही है।
- viii. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता बनाने के लिए धन मुहैया कराया गया है।
- ix. वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली लगाने की योजना और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल को दर्शाते हुए “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति” जारी की गई है।

- x. अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
- xi. तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2030 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- xii. सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और स्थिर हरित ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 को 06 जून 2022 को अधिसूचित किया गया है। हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच किसी भी उपभोक्ता को 100 किलोवाट या उससे अधिक की अनुबंध मांग के साथ अनुमति दी जाती है, जो वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत प्रभाग में स्थित एक सौ किलोवाट या उससे अधिक के एकल या एकाधिक एकल कनेक्शन के माध्यम से होती है।
- xiii. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) शुरू किया गया है।
- xiv. सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता सक्षम होगी।
- xv. सबक्रिटिकल थर्मल इकाइयों की तुलना में दक्ष अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल/सुपरक्रिटिकल इकाइयों की संस्थापना को बढ़ावा देना।
- xvi. बायोमास को-फायरिंग- विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग पर संशोधित नीति जारी की है, जिसके तहत देश के सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5-7% बायोमास का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- xvii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2015 की अपनी अधिसूचना और उसके बाद के संशोधनों के माध्यम से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से स्टैक उत्सर्जन को कम करने के संबंध में मानदंडों को अधिसूचित किया है।

निर्माणाधीन ताप विद्युत क्षमता का विवरण (कोयला आधारित) [25.03.2025 तक]

क्रम सं.	परियोजना/कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	क्षेत्र	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित परीक्षण रन तिथि
वित्तीय वर्ष 2024-25						
1	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी, चरण-III (टैनजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	800	मार्च-25
2	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-1	800	मार्च-25
3	ओबरा-सी एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	उत्तर प्रदेश	यू-2	660	मार्च-25
4	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केंद्रीय	झारखंड	यू-1	800	मार्च-25
5	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी (एनटीपीसी)	केंद्रीय	झारखंड	यू-3	660	मार्च-25
6	बाढ़ एसटीपीपी चरण-I (एनटीपीसी)	केंद्रीय	बिहार	यू-3	660	मार्च-25
उप-जोड़					4,380	
वित्तीय वर्ष 2025-26						
7	उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I (टैनजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	660	मई-25
8	सागरदिघी टीपीपी चरण-III (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	राज्य	पश्चिम बंगाल	यू-1	660	मई-25
9	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	660	मई-25
10	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केंद्रीय	बिहार	यू-1	660	मई-25
11	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-4	800	जून-25
12	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	660	जून-25
13	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-3	800	जुलाई-25
14	उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I (टैनजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-2	660	अगस्त-25
15	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-5	800	सितंबर-25
16	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केंद्रीय	बिहार	यू-2	660	सितंबर-25
17	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-3	660	अक्टूबर-25
18	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केंद्रीय	झारखंड	यू-2	800	दिसंबर-25
19	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केंद्रीय	झारखंड	यू-3	800	मार्च-26
उप-जोड़					9,280	
वित्तीय वर्ष 2026-27						
20	एन्नोर एससीटीपीपी (टैनजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	660	सितंबर-26
21	एन्नोर एससीटीपीपी (टैनजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-2	660	नवंबर-26
22	महान एसटीपीपी, चरण-II (एनर्जन)	निजी	मध्य प्रदेश	यू-3	800	दिसंबर-26
उप-जोड़					2,120	
वित्तीय वर्ष 2027-28						
23	महान एसटीपीपी, चरण-II (महान एनर्जन)	निजी	मध्य प्रदेश	यू-4	800	मई-27
24	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II/ अदानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू-3	800	जून-27
25	तालचेर टीपीपी चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	ओडिशा	यू-1	660	सितंबर-27
26	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II/ अदानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू-4	800	अक्टूबर-27
27	तालचेर टीपीपी चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	ओडिशा	यू-2	660	दिसंबर-27
28	लारा एसटीपीपी चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	छत्तीसगढ़	यू-1	800	दिसंबर-27
29	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी, फेज-II/अदानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू-1	800	जनवरी-28
उप-जोड़					5,320	
वित्तीय वर्ष 2028-29						
30	लारा एसटीपीपी चरण-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	छत्तीसगढ़	यू-2	800	जून-28

क्रम सं.	परियोजना/कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	क्षेत्र	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित परीक्षण रन तिथि
31	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी, फेज-II/अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ़	यू-2	800	जुलाई-28
32	कोडरमा टीपीएस, चरण-II/डीवीसी	केंद्रीय	झारखंड	यू-1	800	अगस्त-28
33	कोडरमा टीपीएस, चरण-II/डीवीसी	केंद्रीय	झारखंड	यू-2	800	दिसंबर-28
34	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केंद्रीय	ओडिशा	यू-1	800	मार्च-29
उप-जोड़					4,000	
वित्तीय वर्ष 2029-30						
35	सिंगरौली एसटीपीपी, सेंट-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-1	800	मई-29
36	न्यू नबी नगर- II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	बिहार	यू-1	800	जुलाई-29
37	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केंद्रीय	ओडिशा	यू-2	800	सितंबर-29
38	डीसीआर टीपीपी एक्सटेंशन, यमुनानगर	राज्य	हरियाणा	यू-1	800	सितंबर-29
39	सीपत एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	छत्तीसगढ़	यू-1	800	सितंबर-29
40	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	800	नवंबर-29
41	न्यू नबी नगर-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	बिहार	यू-2	800	जनवरी-30
42	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केंद्रीय	ओडिशा	यू-3	800	मार्च-30
उप-जोड़					6,400	
वित्तीय वर्ष 2030-31						
43	न्यू नबी नगर-II (एनटीपीसी)	केंद्रीय	बिहार	यू-3	800	जुलाई-30
उप-जोड़					800	
कुल योग (परियोजनाओं की संख्या : 23)					32,300	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4481
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

आईपीडीएस द्वारा किए गए कार्य

4481. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उक्त निर्वाचन क्षेत्र का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि के अनुसार इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में आबंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने और मीटरिंग के माध्यम से समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत 28,731 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी है।

आईपीडीएस के अंतर्गत कार्यों को यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर सर्किल-वार संस्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर और विद्युत वितरण सर्किल (ईडीसी) शाहजहांपुर में कार्यान्वित किए गए प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	लक्ष्य का नाम	यूनिट	राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण मात्रा	ईडीसी-शाहजहांपुर पूर्ण मात्रा
1	नए सब-स्टेशन	संख्या	1086	4
2	सब-स्टेशन का संवर्धन	संख्या	1,609	6
3	नई एचटी लाइन	सीकेएम	23,474	105.21
4	एबी केबल	सीकेएम	64,242	175.76
5	नई एलटी लाइन	सीकेएम	10,410	12.94
6	यूजी केबल	किमी	22,021	5.27
7	नए वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	59,993	130

आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत और संवितरित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

	सर्किल	संस्वीकृत परियोजना लागत	पूर्ण परियोजना लागत	भारत सरकार अनुदान हेतु पात्र	भारत सरकार का कुल संवितरण (निवल)
राष्ट्रीय स्तर पर	-	32,300	28,731	17,994	17,795
शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र	ईडीसी शाहजहांपुर	65.96	51.66	31	31

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित केन्द्रीय निधि का विवरण तथा वर्ष-वार उपयोग निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

निर्वाचन क्षेत्र	सर्किल	संस्वीकृत लागत				संवितरित निधि			
		वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23*	वित्तीय वर्ष 23-24*	वित्तीय वर्ष 24-25*
राष्ट्रीय स्तर पर		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,981	193	36	13
शाहजहांपुर	ईडीसी शाहजहांपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*वित्तीय वर्ष 2022-23 से, निधियां (आईपीडीएस के अंतर्गत शेष दावे) संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के बजट प्रावधानों के माध्यम से जारी की जा रही हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4482
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए सार्वभौमिक मानक

4482. श्री आदित्य यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश को सभी प्रकार की ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक मानक की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि भंडारण प्रमाणन एजेंसियों की स्थापना करने तक उसे तीसरे पक्ष द्वारा परीक्षण और प्रमाणन को अधिकृत करना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) के लिए वर्तमान में कनेक्टिविटी, निर्माण और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मानक लागू हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानकों को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, सीईए ने पंप भंडारण संयंत्र को कवर करने वाले निर्माण मानकों को निर्दिष्ट किया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शब्दावली, परीक्षण विधियों, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी पहलुओं को कवर करने वाले मानक प्रकाशित किए हैं।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) सहित विभिन्न सरकारी परीक्षण एजेंसियां सेल, बैटरी और बैटरी पैक के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणन आयोजित करती हैं।

सरकारी एजेंसियों के अलावा, गैर-सरकारी परीक्षण एजेंसियां भी एनएबीएल (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) मान्यता और बीआईएस से अनुमोदन के बाद यदि आवश्यक हो परीक्षण और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4500

दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

केरल में बिजली संयंत्रों की स्थापना

4500. श्री एम.के. राघवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को केरल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से लिखित सहमति प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार देश में विद्युत संयंत्र स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है। कोई भी उत्पादन कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित, संचालित और अनुरक्षण कर सकती है, बशर्ते वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो। किसी राज्य में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आती है। विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए, राज्य या तो अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता स्थापित कर सकता है या नए विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए बोली आमंत्रित कर सकता है।

(ख) से (ग) : वर्तमान में, केरल राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि केरल सरकार अपनी बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने के लिए राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है, तो भारत सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4503
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

उत्तर पूर्व क्षेत्र में एनएचपीसी के विद्युत केन्द्र/संयंत्र

4503. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) के कुल कितने विद्युत केन्द्र/संयंत्र कार्य कर रहे हैं और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं तथा उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में एनएचपीसी के किसी विद्युत केन्द्र/संयंत्र को बंद करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार कार्य बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएचपीसी द्वारा राज्यवार और वर्षवार कुल कितना विद्युत उत्पादन किया गया;

(घ) इस क्षेत्र में एनएचपीसी के विद्युत केन्द्रों/संयंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने स्थानीय रोजगारों का सृजन किया गया है; और

(ङ) देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एनएचपीसी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं, जिनमें कोई प्रस्तावित नई परियोजनाएं, विस्तार या आधुनिकीकरण प्रयास शामिल हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ग) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएचपीसी निम्नलिखित तीन जलविद्युत (एचई) स्टेशनों को संचालित करता है, जिनकी कुल क्षमता 675 मेगावाट है और पिछले पांच वर्षों में 16935 मिलियन यूनिट (एमयू) विद्युत का उत्पादन किया है:

क्र.सं.	पावर स्टेशन	स्थान/राज्य	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू में)				
				2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	लोकतक	मणिपुर	105	367	622	401	478	298
2.	रंगित	सिक्किम	60	355	289	338	332	298
3.	तीस्ता-V*	सिक्किम	510	2832	2830	2671	2858	1966
महा योग			675	3554	3741	3410	3668	2562

*वर्तमान में पुनर्स्थापन के अधीन।

(ख) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएचपीसी के किसी भी विद्युत स्टेशन को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) : वर्तमान में, क्षेत्र में एनएचपीसी विद्युत परियोजनाओं/स्टेशनों में कुल 1102 संविदा श्रमिक कार्यरत हैं।

(ङ) : एनएचपीसी वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5,500 मेगावाट संयुक्त क्षमता की चार जलविद्युत/बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में पाँच जलविद्युत/बहुउद्देशीय परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं। ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

इसके अलावा, एनएचपीसी लिमिटेड ने मणिपुर में लोकतक विद्युत स्टेशन (105 मेगावाट) का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) कार्य शुरू किया है। यह विद्युत स्टेशन वर्ष 1983 में शुरू किया गया था और मई, 2018 में इसने 35 साल की अपनी निर्धारित समयावधि पूरी कर ली है।

1. एनएचपीसी द्वारा निर्माणाधीन जलविद्युत/बहुउद्देशीय परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
निर्माणाधीन			
1.	सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	2000
2.	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	2880
3.	तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना	सिक्किम	500
4.	रंगित-IV जलविद्युत परियोजना (जेपीसीएल के माध्यम से: एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	सिक्किम	120
कुल			5500

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1.	कमला जलविद्युत परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	1720
2.	सुबानसिरी अपर जलविद्युत परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	1605
3.	अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	11200
4.	सियांग लोअर जलविद्युत परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	2700
5.	तीस्ता-IV जलविद्युत परियोजना	सिक्किम	520
कुल			17745

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4535
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र में सुधार

4535. श्रीमती डी.के.अरुणा:

श्री इटैला राजेंदर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों के परामर्श से विद्युत क्षेत्र में सुधार पर काम कर रही है और क्या वह राज्यों द्वारा विद्युत वितरण सुधारों तथा अंतर-राज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार लाएगी तथा इस सुधारों के आधार पर राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी प्रगति हुई है तथा तेलंगाना सहित जिला-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और उपयोग की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार वित्तीय रूप से स्थिर और संधारणीय विद्युत क्षेत्र (विशेष रूप से वितरण खंड) बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार उपायों के माध्यम से राज्यों/वितरण यूटिलिटी के प्रयासों में सहायता कर रही है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें एफसी) की सिफारिश के अनुरूप, भारत सरकार ने वित्तीय और प्रचालनात्मक सुधार उपायों को अपनाने की शर्त पर वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक चार वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण देने की स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत भाग लेने वाले राज्यों द्वारा किए गए प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:

- i. लेखापरीक्षित वार्षिक और त्रैमासिक वित्तीय लेखों का प्रकाशन।
- ii. विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना (या कवर नहीं की गई हानि या ऐसे कोई अन्य प्रावधान)।

- iii. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार टैरिफ सब्सिडी लेखांकन और भुगतान।
- iv. वितरण यूटिलिटी द्वारा उठाए गए नुकसान के निमित्त राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का वितरण क्रमबद्ध तरीके से किया जाना।
- v. टैरिफ और ड्र-अप आदेश जारी करना।
- vi. ऊर्जा लेखांकन तैयार करना और इसे विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करना।

वितरण यूटिलिटी की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार के लिए की गई अन्य पहल:

- i. **संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस):** भारत सरकार ने प्रचालनात्मक रूप से दक्ष एवं वित्तीय रूप से स्थिर वितरण क्षेत्र के माध्यम से वितरण यूटिलिटी में विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करने के लिए वर्ष 2021 में इस स्कीम की शुरुआत की। यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी यूटिलिटी को वांछित परिणामों के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। विभिन्न मापदंडों के निमित्त यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर, स्कीम के तहत निधि निर्मुक्ति की जाती है।
- ii. **वर्ष 2022 में अधिसूचित विलंब भुगतान अधिभार नियम:** इन नियमों के कार्यान्वयन के बाद से, केंद्रीय क्षेत्र की यूटिलिटी की कुल पिछली बकाया राशि जून, 2022 में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये से घटकर मार्च, 2025 में लगभग 18,857 करोड़ रुपये हो गई है। वर्तमान बकाया राशि का भी आम तौर पर नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। इससे यूटिलिटी पर लगाए गए विलंब भुगतान अधिभार को कम करने में मदद मिली है।
- iii. **प्रभावी सब्सिडी लेखांकन:** उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।
- iv. **टैरिफ युक्तिकरण और स्वचालित ईंधन लागत मूल्य संचरण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत मूल्य संचरित हों, इसलिए नियमों को अधिसूचित किया गया है।
- v. **लेखांकन में वित्तीय पारदर्शिता में सुधार के लिए विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024**
- vi. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।

(ख) : स्कीम के सकारात्मक प्रभाव तथा निर्धारित अवधि वित्त वर्ष 2025 तक इसके पूरे होने के कारण, वित्त वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में इसे जारी रखने तथा इसके विस्तार की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। राज्यों को

अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने की स्कीम को विस्तारित किया गया है, ताकि राज्यों को विद्युत वितरण सुधारों को अपनाने तथा अंतः राज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) : इस स्कीम के तहत निधि संस्वीकृत नहीं की जाती है, परंतु भारत सरकार द्वारा जीएसडीपी के 0.5% अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति के आधार पर, राज्य अपनी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार लेते हैं।

दिनांक 24.03.2025 को स्कीम के तहत अनुमत अतिरिक्त ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	धनराशि (करोड़ रु. में)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	3,716	5,858	6,709	7,986
2	असम	1,886	2,473	2,702	-
3	हिमाचल प्रदेश	251	-	-	-
4	केरल	4,060	4,263	4,866	6149
5	मणिपुर	180	-	213	-
6	मेघालय	192	-	-	-
7	ओडिशा	2,725	-	-	-
8	पंजाब	-	-	-	1976
9	राजस्थान	5,186	6,122	7,996	7,088
10	सिक्किम	191	170	156	-
11	तमिलनाडु	7,054	5,775	9,656	-
12	उत्तर प्रदेश	6,823	-	-	-
13	पश्चिम बंगाल	6,911	8,352	7,276	-
	कुल	39,175	33,013	39,574	23199

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4537
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

असम में ग्रामीण विद्युतीकरण

4537. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में, विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति क्या है तथा कितने गांवों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) असम के सुदूर एवं जनजातीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के विद्युत ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में असम में विद्युत अवसंरचना विकास के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या असम में, विशेषकर जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में नई जलविद्युत या सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है, ताकि असम के सुदूर और आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। असम राज्य के लिए कुल 2,732 गांवों का

विद्युतीकरण किया गया। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य के तहत, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। असम राज्य में कुल 23,26,656 घरों का विद्युतीकरण किया गया। दिनांक 31.03.2022 तक दोनों स्कीमें बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार ने प्रचालनात्मक रूप से दक्ष और वित्तीय रूप से स्थिर वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना एवं स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। असम राज्य के लिए, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना एवं स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए क्रमशः 3,394 करोड़ रुपये और 4,050 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से समस्त असम राज्य में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के तहत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत चिह्नित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत चिह्नित किए गए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित घरों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए मंजूरी दी जा रही है। अब तक आरडीएसएस के तहत 4,643 करोड़ रुपये की लागत से 10.19 लाख घरों के विद्युतीकरण के कार्यों को मंजूरी दी गई है। असम राज्य के लिए संस्वीकृत अवसंरचना कार्यों में 1.27 लाख घरों के विद्युतीकरण के कार्य भी शामिल हैं।

कार्बी आंगलॉग और दीमा हसाओ जिले के लिए संस्वीकृत और निष्पादित कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-1** पर है।

इसके अलावा, असम सरकार ने सूचित किया है कि उसने विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, यथा- नए सब-स्टेशनों और हाई टेंशन (एचटी) लाइनों का निर्माण और आरडीएसएस एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) अर्थात् 'असम वितरण प्रणाली संवर्धन और हानि न्यूनीकरण' परियोजना के तहत पुराने और अनावृत कंडक्टर को इंसुलेटेड केबल से बदलना।

(ग) : विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण की सुविधा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता वर्ष 2016-17 के दौरान 75,050 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 31.12.2024 तक 1,18,740 मेगावाट हो गई है। विद्युत उत्पादन और विद्युत की मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का निरंतर आधार पर विस्तार किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन में रुकावट, पर्याप्त अनुकूल संसाधनों की अनुपलब्धता आदि नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने वाली प्राथमिक चुनौतियाँ हैं।

सरकार ने विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के एकीकरण की सुगमता के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, यथा:

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए अंतः राज्यीय और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों का निर्माण।
- (ii) वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना तैयार की गई है।

- (iii) नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर पूर्वानुमान के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता और रुकावट को प्रबंधित करने के लिए ग्रिड ऑपरेटरों की सहायता के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) की स्थापना।
- (iv) सौर-पवन हाइब्रिड परियोजनाओं, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और रुकावट को कम करने के लिए गैर-नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के साथ संतुलित नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति जैसे अभिनव उत्पाद की शुरुआत की गई।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम) का कार्यान्वयन।
- (vi) सौर, पवन और जल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट।
- (vii) नवीकरणीय ऊर्जा और स्टोरेज पावर के साथ बंडलिंग के माध्यम से तापविद्युत/जलविद्युत स्टेशनों से उत्पादन और समय निर्धारण में अनुकूलन। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता को हल करने के लिए तापविद्युत उत्पादन में अनुकूलन अनिवार्य है।
- (viii) हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत राज्यों को अपने राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।
- (ix) सीईए (ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन प्रदान करने से पहले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उक्त विनियमों के अनुपालन को केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्रों (आरएलडीसी) द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाता है। किसी भी नए संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से पहले अनुपालन का पुख्ता सत्यापन किया जाता है।
- (x) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में प्रावधान है कि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र आकस्मिकताओं के मामले में प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में अनिवार्यतः भाग लें। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यथा- बीएसईएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) और पीएसपी (पंप भंडारण परियोजना) को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

असम राज्य द्वारा नवीकरणीय एकीकरण और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

(घ) : असम राज्य में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विद्युत अवसंरचना विकास के लिए जारी/उपयोग किए गए केंद्रीय अनुदान का ब्यौरा **अनुबंध-III** पर है।

(ङ) : दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक असम राज्य में 578.45 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की संचयी क्षमता संस्थापित की गई है, जिसमें 192.34 मेगावाट सौर, 350 मेगावाट बड़ी जलविद्युत, 34.11 मेगावाट लघु जलविद्युत और 2 मेगावाट बायो पावर शामिल हैं। वर्तमान में, असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीजीसीएल) असम के दीमा हसाओ जिले में लोअर कोपिली (120 मेगावाट) जलविद्युत स्टेशन स्थापित कर रहा है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार असम में नियोजित परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-IV** पर है।

डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य स्कीम के तहत निष्पादित कार्यों का ब्यौरा और आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत कार्य

1. कार्बी आंगलॉग और दीमा हसाओ जिलों में डीडीयूजीजेवाई के तहत क्रमशः कुल 650 और 256 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।
2. दोनों जिलों में डीडीयूजीजेवाई के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	मद	यूनिट	कार्बी आंगलॉग	दीमा हसाओ
1	सब-स्टेशन (विस्तार सहित)	सं.	05	01
2	वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	2601	332
3	11 केवी लाइन	सीकेएम	5877.64	816.11
4	एलटी लाइन	सीकेएम	4817.48	471.35
5	33 केवी और 66 केवी लाइन	सीकेएम	48.8	0.8
6	उपभोक्ता ऊर्जा मीटर	सं.	00	00
7	वितरण ट्रांसफार्मर मीटर	सं.	567	300
8	11 केवी फीडर मीटर	सं.	13	15

3. कार्बी आंगलॉग और दीमा हसाओ जिलों के लिए आरडीएसएस के तहत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए क्रमशः 126.46 करोड़ रुपये और 46.97 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। संस्वीकृत कार्यों में केबल बिछाने का कार्य, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस) फीडर बाइफर्केशन, 11/22 केवी लाइनों और 33/66 केवी लाइनों की रीकंडक्टिंग शामिल है।
4. कार्बी आंगलॉग और दीमा हसाओ जिलों के लिए आरडीएसएस के तहत क्रमशः कुल 9,011 और 2,604 घरों को मंजूरी दी गई।

असम राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत, असम राज्य में 8,748 घरों में परियोजनाओं की स्थापना की गई है, जिनमें से 5,003 घरों को 4.76 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि जारी की गई है।
2. असम राज्य में लघु जलविद्युत (एसएचपी) के लिए कुल 201 मेगावाट संभावित स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 28.02.2025 तक कुल संस्थापित क्षमता 34.11 मेगावाट है।
3. दिनांक 28.02.2025 तक संस्थापित/वितरित ऑफ-ग्रिड सौर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) अनुप्रयोगों की संचयी संख्या नीचे सारणीबद्ध है:

सोलर होम लाइट (सं.)	सोलर लालटेन और लैंप (सं.)	सोलर स्ट्रीट लाइट (संख्या में)	सोलर ऊर्जा पैक (केडब्ल्यूपी में)
46,879	6,47,761	29,538	1,605

4. असम राज्य में अनुमानित बायोमास विद्युत क्षमता 321.89 मेगावाट है, जिसमें से 2 मेगावाट गैर-खोई बायोमास सह-उत्पादन क्षमता संस्थापित की जा चुकी है।
5. राज्य सरकार ने दिनांक 24 फरवरी, 2025 को ग्रीन हाइड्रोजन सहित असम एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025 को अधिसूचित किया है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 2,000 केटीपीए (किलो टन प्रति वर्ष) का लक्ष्य है, जिसमें राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन और प्रति वर्ष 10,000 नौकरियों का सृजन शामिल है। इसका लक्ष्य राज्य के भीतर उर्वरक संयंत्रों और रिफाइनरी की मांग को पूरा करने के लिए कम से कम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली भी शुरू करना है।
6. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने असम में "भारत का पहला 99.999% शुद्ध" ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया। मध्य असम के जोरहाट में स्थापित पायलट संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन करने की है।
7. एसजीईएल असम रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, ने असम राज्य में 25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र विकसित करने की योजना बनाई है।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केंद्रीय स्रोतों से असम राज्य में विद्युत अवसंरचना विकास के लिए उपयोग/जारी केंद्रीय निधियों का ब्यौरा:

(करोड़ रु. में)

परियोजना	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	कुल
आरडीएसएस - वितरण अवसंरचना कार्य	-	-	10.4	578.7	570.1	1,159.2
एनईआरपीएसआईपी	182.6	265.5	131.9	91.9	40.6	712.5
डीडीयूजीजेवाई	415.8	339.1	33.8	933.6	0.0	1,722.2
आईपीडीएस	118.5	20.5	0.0	13.8	0.0	152.7
सौभाग्य	86.4	60.2	26.7	0.0	0.0	173.2
कुल	803.2	685.2	202.8	1,617.9	610.7	3,919.9

*जारी/अनंतिम आंकड़े

असम राज्य द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएँ

1. असम राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, असम सरकार असम के कार्बी आंगलॉग जिले में मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रोकोल्पो के अंतर्गत 1000 मेगावाट पी सौर परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

2. असम सरकार ने असम राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की हैं:

- एडीबी निधियों के साथ "मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रोकोल्पो" के अंतर्गत राज्य में 1000 मेगावाट पी (750 एम डब्ल्यू एसी) सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्यान्वयन।
- एपीडीसीएल और एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम (जेवी) द्वारा 1000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास।
- एपीडीसीएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा 1000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास।
- एपीडीसीएल और ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा 250 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना।
- एसजेवीएन द्वारा बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित की जाने वाली ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 70 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद।
- एसजेवीएन द्वारा बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित की जाने वाली ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद।
- ग्रिड से जुड़ी ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी परियोजना से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद, जिसे एसजेवीएन द्वारा बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4538
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों द्वारा सीएसआर वित्तपोषण

4538. श्री आनंद भदौरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के वित्तपोषण का कम्पनीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा सीएसआर निधि प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं का कम्पनीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियों से सीएसआर निधि के लिए प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए अपनाए गए मानदंडों का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत कंपनियों से सीएसआर निधि के प्राप्तकर्ताओं के चयन में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं का कम्पनीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) वित्तपोषण का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
एनटीपीसी लिमिटेड	304.90	418.80	356.70	315.30	425.70
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	346.21	240.48	271.14	321.66	330.48
पीएफसी लिमिटेड	121.30	216.34	130.88	178.58	215.39
आरईसी लिमिटेड	258.40	144.32	167.22	204.31	242.16
एनएचपीसी लिमिटेड	126.43	79.63	105.29	127.31	85.73
एसजेवीएन लिमिटेड	36.35	52.87	51.67	59.84	45.96
टीएचडीसीआईएल	21.62	23.11	27.21	23.61	34.47
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)	12.37	7.28	5.46	5.19	7.63
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	1.21	1.34	1.21	1.07	1.11
कुल	1228.79	1184.17	1116.78	1236.87	1388.63

(ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर वित्तपोषण प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा सीपीएसई की संबंधित वेबसाइट, यथा- <https://ntpc.co.in>, <https://www.powergrid.in>, <https://www.pfcindia.com>, <https://recindia.nic.in>, <https://www.nhpcindia.com>, <https://sjvn.nic.in>, <https://www.thdc.co.in>, <https://neepco.co.in> & <https://posoco.in> पर उपलब्ध है।

(ग) : सीपीएसई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण उन्मुखी पहल, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों की देखभाल, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, पीएम केयर्स फंड में योगदान, अनुसंधान और विकास, शिक्षा संस्थानों में योगदान, आपदा प्रबंधन आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सीएसआर वित्तपोषण बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, संबंधित सीपीएसई की सीएसआर नीति, डीपीई दिशा-निर्देशों और इस संबंध में समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, अनुमोदन करने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर गतिविधियां सीपीएसई द्वारा स्वयं या केंद्र/राज्य सरकारों की एजेंसियों/विभागों के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं।

(घ) : विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर वित्तपोषण के प्राप्तकर्ताओं के चयन में कोई अनियमितता की सूचना नहीं है। हालांकि, सीएसआर कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों, यदि कोई हो, को उस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन/कार्य आदेश आदि की शर्तों और नियमों के संदर्भ में मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से मौजूदा नियमों/नीतियों/दिशानिर्देशों के अनुसार निस्तारित किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4548
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

संधारणीय शीतन और ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय सम्मेलन

4548. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संधारणीय शीतन और ऊर्जा दक्षता सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने फरवरी, 2025 में "संधारणीय शीतन और ऊर्जा दक्षता में सुधार की दर को दोगुना करना" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में संधारणीय शीतन में परिवर्तन सहित सभी मांग क्षेत्रों में प्रमुख कार्यकलापों के माध्यम से वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करने के लिए एक रोडमैप का सुझाव दिया गया।

इसके अलावा, उपर्युक्त सम्मेलन के दौरान आम सहमति बनी कि वर्ष 2030 तक क्रमिक सुधार के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार की दर को दोगुना करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4558
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अचानक गिरावट

4558. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में बड़े पैमाने पर बादलों के छाए रहने से सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अचानक गिरावट आई है, जिससे बिजली ग्रिड की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कम उत्पादन के कारण अचानक गिरावट और अधिक उत्पादन के कारण बिजली में वृद्धि से बिजली के ग्रिड को नुकसान पहुंच सकता है और कभी-कभी ग्रिड में चिंगारी और आग लग सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुरक्षा निवारक उपाय किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि निकट भविष्य में बिजली का वितरण प्रभावित न हो; और

(ङ) क्या ग्रिड इंडिया नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक मौसम पूर्वानुमान में सटीकता लाने के लिए कई हितधारकों के साथ काम कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : हाल के महीनों में देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में अचानक गिरावट के कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं। पिछले तीन महीनों (दिसंबर, 2024 से फरवरी, 2025) के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन में गिरावट का ब्यौरा अनुबंध पर है।

(ख) और (ग) : सौर उत्पादन में अचानक गिरावट से मांग-आपूर्ति में अंतर पैदा होता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड की आवृत्ति कम हो जाती है और स्थानीयकृत वोल्टेज उच्च हो जाता है। इसी तरह, बादल छटने के बाद सौर उत्पादन में अचानक वृद्धि से ग्रिड की आवृत्ति उच्च हो जाती है और स्थानीयकृत वोल्टेज कम हो सकता है।

नवीकरणीय उत्पादन में बदलाव के कारण मांग-आपूर्ति के अंतर की भरपाई आवृत्ति नियंत्रण और रिएक्टिव पावर सपोर्ट के लिए अन्य विद्युत उत्पादन संसाधनों द्वारा की जानी चाहिए। इस संबंध में, निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं:

- (i) स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (एजीसी) एजीसी सक्षम तापविद्युत और जलविद्युत संयंत्र को प्रति 4 सेकंड में सेकेंडरी रिजर्व एंसिलरी सर्विसेज (एसआरएस) अप या डाउन सिग्नल भेजकर आवृत्ति स्थिरता बनाए रखता है।
- (ii) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कमी के दौरान, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) में परिभाषित बैंड में आवृत्ति बनाए रखने के लिए तृतीयक रिजर्व सहायक सेवाओं (टीआरएस) के तहत तापविद्युत आधारित विद्युत संयंत्रों से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है।
- (iii) रिएक्टिव पावर को सपोर्ट करने के लिए पंप स्टोरेज प्लांट के मोड को भी बदल दिया जाता है।
- (iv) उच्च रैंप दर वाले जनरेटर जैसे हाइड्रो/गैस को भी लोड उत्पादन संतुलन बनाए रखने के लिए बार पर लाया जाता है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संयंत्रों को भी समय-सारिणी को तुरंत संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है।
- (vi) रिएक्टर स्विचिंग की जाती है ताकि सुरक्षित और विश्वसनीय ग्रिड संचालन के लिए आरई संयंत्रों में वोल्टेज को वांछित सीमा के भीतर रखा जा सके।
- (vii) ग्रिड की रिएक्टिव पावर आवश्यकता के अनुसार आरई संयंत्र/रिएक्टिव पावर क्षतिपूर्ति उपकरणों के प्रचालन के मोड को भी बदल दिया जाता है।
- (viii) रिएक्टिव पावर सपोर्ट ऑन बार थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर जनरेटर से भी लिया जाता है।

(घ) : भारत सरकार ने बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को चिह्नित किया है। सीईए द्वारा तैयार राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2031-32 तक 874 गीगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसमें पारंपरिक स्रोतों- कोयला, लिग्नाइट, गैस, न्यूक्लियर से 304 गीगावाट और नवीकरणीय स्रोतों- सौर, पवन, बायोमास और जलविद्युत से 570 गीगावाट क्षमता शामिल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किए हैं:

- (i) भारत सरकार ने नवंबर, 2023 में वर्ष 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80,000 मेगावाट कोयला आधारित क्षमता संस्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस लक्ष्य के निमित्त, वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 9,350 मेगावाट की कोयला आधारित क्षमता पहले ही शुरू हो चुकी है। 32,300 मेगावाट तापविद्युत क्षमता निर्माणाधीन है और वित्त वर्ष 2024-25 में 23,440 मेगावाट तापविद्युत क्षमता के लिए संविदा दिए गए हैं। इसके अलावा, 35,180 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।
- (ii) 13,997.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 24,225.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

- (iii) 7,300 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता नियोजन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।
- (iv) 84,310 मेगावाट सौर, 28,280 मेगावाट पवन और 40,890 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,53,920 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,670 मेगावाट सौर, 600 मेगावाट पवन और 22,940 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 70,210 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- (v) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 13,050 मेगावाट/78,300 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन/सहमति के अधीन हैं और 14,970 मेगावाट/54,803 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रिड की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: -

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल रखने के लिए अंतः राज्यीय पारेषण नेटवर्क के विकास की योजना बनाई जा रही है। एंकरिंग वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, हानि में कमी आदि के संदर्भ में बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अंतः राज्यीय नेटवर्क के साथ आईएसटीएस नवीकरणीय ऊर्जा स्कीमों का मजबूत अंतर-संबंध बनाया जा रहा है।
- (ii) हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के तहत राज्यों को उनके राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।
- (iii) संसाधन पर्याप्तता योजना (आरएपी) तैयार की गई है और दीर्घावधि (एलटीआरएपी) तथा अल्पावधि (एसटीआरएपी) दोनों को अनिवार्य किया गया है। इससे सभी कालखंडों में मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए उच्चतम और अनुकूल संसाधनों की आवश्यकता होगी।
- (iv) पारेषण सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए भंडारण सुविधाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता को हल करने के लिए तापविद्युत उत्पादन का अनुकूलन अनिवार्य है।
- (vi) सीईए (ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम में ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन प्रदान करने से पहले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उक्त विनियमों के अनुपालन को केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/आरएलडीसी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाता है। किसी भी नए संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से पहले अनुपालन का पुख्ता सत्यापन किया जाता है।

(vii) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के प्रावधान के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र आकस्मिकताओं के मामले में प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में अनिवार्यतः भाग लें। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे कि बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) और पीएसपी (पंप भंडारण परियोजना) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(viii) सौर और पवन संयंत्रों की समर्पित निगरानी, पूर्वानुमान और समय-निर्धारण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों और क्षेत्रों में 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) की स्थापना।

(ड) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पूर्वानुमान के लिए हितधारकों के साथ सटीक मौसम डेटा साझा करना सुनिश्चित करने के लिए बहुत बारीकी से और नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं। दोनों मंत्रालयों के बीच घनिष्ठ समन्वय के परिणामस्वरूप, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) विभिन्न हितधारकों के साथ मौसम पूर्वानुमान डेटा साझा कर रहे हैं जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और मांग पूर्वानुमान के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए ग्रिड-इंडिया द्वारा सभी अंतरराज्यीय पारिषद प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का मौसम डेटा सुरक्षित एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के माध्यम से दिन में चार बार एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के साथ साझा किया जा रहा है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 फरवरी, 2025 को ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित बोली दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्पादनकर्ताओं को संबंधित केंद्रीय सरकारी एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देशों और मानकों के अनुसार जीपीएस सक्षम स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित करने और इसे अनुरक्षण करने का निर्देश दिया गया है। आरई कॉम्प्लेक्स में एडब्ल्यूएस से मौसम माप की उपलब्धता से सभी हितधारकों के लिए मौसम पूर्वानुमान की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, स्वदेशी आरई पूर्वानुमान उपकरण के विकास का कार्य आईआईटी बॉम्बे को दिया गया है।

पिछले तीन महीनों (दिसंबर, 2024 से फरवरी, 2025) के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन में गिरावट का ब्यौरा

तिथि	अखिल भारतीय सौर उत्पादन (एमयू)	पिछले दिन की तुलना में % गिरावट
26 दिसम्बर, 2024	227.33	-19.5
27 दिसम्बर, 2024	222.41	-2.16
11 जनवरी, 2025	301.1	-15.36
18 फरवरी, 2025	447.14	-4.16
19 फरवरी, 2025	406.41	-9.11
25 फरवरी, 2025	382.64	-18.96

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4563
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना

4563. श्री तापिर गावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) के बीच 24 जून, 2007 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थानीय जनजातीय आबादी से भर्ती किए गए श्रेणी तीन और चार (ग और घ) कर्मचारियों और राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त पर तैनात किए गए कार्यकारी संवर्ग पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय ठेकेदारों को दिए गए अनुबंधों (प्रमुख/विशेष कार्यों को छोड़कर) का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मासिक और वार्षिक रूप से खरीदी गई स्थानीय रूप से उत्पादित/निर्मित सामग्री की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने एनएचपीसी द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सभी आवश्यक मंजूरीयें प्राप्त करने के बाद दिनांक 27 फरवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए एनएचपीसी लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान की। परियोजना अब कार्यान्वयन चरण में है।

(ख) : स्थानीय जनजातीय आबादी से कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में, एनएचपीसी ने सूचित किया है कि वर्तमान में एनएचपीसी में श्रमिक संवर्ग में अधिशेष जनशक्ति है। परिणामस्वरूप, श्रेणी III और IV (ग और घ) कर्मचारियों के पदों के लिए कोई भर्ती नहीं की गई है। इसके अलावा, फिलहाल, साइट पर केवल बिजलीघर, नदी मोड़ और सड़क और पुल निर्माण से संबंधित निर्माण कार्य शुरू हुए हैं। वर्तमान में, राज्य सरकार के अधिकारियों को अभी तक कार्यकारी संवर्ग में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): समझौता ज्ञापन प्रावधानों के अनुपालन में, एनएचपीसी स्थानीय संविदाकारों को कार्य और सेवा संविदाएं दे रही है। इन संविदाओं का विवरण (प्रमुख/विशिष्ट कार्यों को छोड़कर) अनुबंध के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, स्थानीय रूप से उत्पादित/निर्मित सामग्री की आवश्यकता होने पर खरीद की जा रही है।

स्थानीय संविदाकारों को दिए गए अनुबंधों (कार्यों/सेवाओं) का विवरण					
क्रम सं.	अनुबंध का प्रारूप	कार्य/सेवा का नाम	संविदाकार का नाम	संविदा/अबाई की गई राशि	स्थानीय/पीएफ
2019- 2020					
1	कार्य	अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक दाहिने तट की पहुंच सड़क की सुरक्षा के लिए सिरकी नदी के बाएं तट पर प्रस्तावित स्पर का निर्माण.	मैसर्स आरआर प्रोजेक्ट्स विल-एजेंगो, पी.ओ/पी.एस-रोइंग, जिला-लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश-792110	13,47,840 रुपये	स्थानीय
2	कार्य	अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक दाहिने तट की पहुंच सड़क की सुरक्षा के लिए सिरकी नदी के बाएं तट पर प्रस्तावित स्पर का निर्माण..	मैसर्स आरआर प्रोजेक्ट्स विल-एजेंगो, पी.ओ/पी.एस-रोइंग, जिला-लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश-792110	15,55,200.00 रुपये	स्थानीय
2020-2021					
1	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए चालक और ईंधन के साथ 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए 01 महिंद्रा बोलेरो (ओपीटी) बीएस-6 या उच्चतर संस्करण किराए पर ली गई है।	मेसर्स जेएम ट्रेडविंग्स, चेता-II, पीओ/पीएस रोइंग, लोअर दिबांग वैली जिला, अरुणाचल प्रदेश कृपया ध्यान दें: श्री जिबानी मिखु (मालिक) ई-मेल: jmtradewings@gmail.com	13,94,604.00 रुपये	स्थानीय
2	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए चालक और ईंधन के साथ 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए 01 महिंद्रा बोलेरो (ओपीटी) बीएस-6 या उच्चतर संस्करण किराए पर ली गई है।	मैसर्स आरआर प्रोजेक्ट्स विल-एजेंगो, पी.ओ/पी.एस-रोइंग, जिला-लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश-792110	13,94,604.00 रुपये	स्थानीय
2021-2022					
1	कार्य	रोइंग में एकजीक्यूटिव फील्ड हॉस्टल (डीएस होटल एंड रिसोर्ट की पहली मंजिल) की पेंटिंग और मामूली मरम्मत का कार्य।	मेसर्स मिंती एंटरप्राइजेज, अगमगाइट, पोस्ट ऑफिस/पीएस- रोइंग, जिला- लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश-792110 ईमेल आईडी: amindarin@gmail.com	1,16,471.00 रुपये	स्थानीय
2	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 24 माह के लिए चालक के	मेसर्स एलीशा लिंग्गी, असाली, पोस्ट ऑफिस/पीएस-रोइंग, लोअर	28,12,248.00 रुपये जीएसटी को छोड़कर	स्थानीय

		साथ, लेकिन ईंधन के बिना 01 स्कॉर्पियो एस3 बीएस6 या उच्चतर संस्करण और 01 पिकअप 4X4 (सिंगल केबिन) या उच्चतर संस्करण किराए पर ली गई है।	दिबांग वैली जिला-792110, अरुणाचल प्रदेश कृपया ध्यान दें: श्री एलीशा लिंग्गी (मालिक) ई-मेल: elisharoing@gmail.com		
3	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 24 महीने के लिए चालक के साथ, ईंधन के बिना 01 बोलेरो कैंपर 4 डबल्यूडी पीएस (डबल केबिन) या उच्चतर संस्करण किराए पर ली गई है।	मेसर्स जेएम ट्रेडविंग्स, चेता-II, पीओ/पीएस रोड़ंग, लोअर दिबांग वैली जिला, अरुणाचल प्रदेश कृपया ध्यान दें: श्री जिबानी मिखु (मालिक) ई-मेल: jmtradewings@gmail.com	10,44,000.00 रुपये जीएसटी छोड़कर	स्थानीय
वित्तीय वर्ष-2022-2023					
1	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 24 माह के लिए चालक के साथ ईंधन के बिना 02 महिंद्रा बोलेरो बी6 (ओ) संस्करण किराए पर ली गई है।	श्री राजेन डेले, ब्रिली बस्ती, रोड़ंग सर्कल, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश-792110	₹.24,37,042.00 (₹.12,18,521.00+ ₹.12,18,521.00) केवल ड्राइवर सहित और जीएसटी@5%.	पीएएफ
2	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 01 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 24 जेडएक्स एमटी को 24 माह के लिए चालक के साथ, ईंधन के बिना किराए पर ली गई है।	मेसर्स टी.एम., कंस्ट्रक्शन, पीओ और पीएस अनिनी, अरुणाचल प्रदेश	मात्र 25,19,496.00 रुपये ड्राइवर और जीएसटी@5% सहित।	पीएएफ
3	कार्य	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के बांध स्थल क्षेत्र में पंजाबी शिविर का नवीनीकरण और मरम्मत	मेसर्स आर.एम. एंटरप्राइज, ब्रिनली, हुनली, लोअर दिबांग वैली जिला, अरुणाचल प्रदेश-792110	4,92,578.00 रुपये	स्थानीय
4	कार्य	दिबांग नदी के जल स्तर के मापन के लिए पर्यटन और पर्यटन स्थलों को मजबूत करना और डीएमपी, (आंध्र प्रदेश) में बांध स्थल और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (एडब्ल्यूएलआर) की स्थापना करना।	मेसर्स मिती एंटरप्राइजेज, अगमगाइट, लोअर दिबांग वैली, जिला, अरुणाचल प्रदेश - 792110, ईमेल: amindarin@gmail.com	2,52,464.00 रुपये	स्थानीय
5	कार्य	आईटीआई कॉम्प्लेक्स, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश के लड़कों के छात्रावास का निर्माण/आंशिक संशोधन	मेसर्स दिबांग एंटरप्राइजेज, चेता-I, रोड़ंग, पीओ/पीएस-रोड़ंग, लोअर दिबांग वैली जिला-792110, अरुणाचल प्रदेश ईमेल: ekipimiuli@ymail.com	25,74,881.00 रुपये	स्थानीय
6	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में	मेसर्स अमेजिंग माउंटेन रॉक्स, रोड़ंग, लोअर	46,70,649.00 रुपये	स्थानीय

		विभिन्न क्षेत्रीय छात्रावासों में नवीनीकरण एवं रखरखाव सेवाएं प्रदान करना	दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश, पिन- 792110		
7	सेवा	एक वर्ष की अवधि के लिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की विद्युत और आईटी संचार प्रणालियों के संचालन और रखरखाव की सेवा प्रदान करना	मेसर्स एचएम फ्रंटियर, गांव: अबांगो, पोस्ट ऑफिस और पीएस: रोड़ंग, जिला: लोअर दिबांग, अर.पी-792110	41,71,525.00 रुपये	स्थानीय
8	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के यांत्रिक और परिवहन प्रभाग के विभागीय वाहन और भारी उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए रोड़ंग और साइट दोनों पर 12 माह की अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करना	मेसर्स डीडी एंटरप्राइज, रोड़ंग, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश, पिन- 792110	29,50,615.00 रुपये	स्थानीय
9	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में सिस्टम के रखरखाव और संचालन के लिए कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में आर एंड एम सेवाएं प्रदान करना	मेसर्स मिंती एंटरप्राइजेज, अगमगाइट, लोअर दिबांग वैली, जिला, अरुणाचल प्रदेश - 792110, ईमेल: amindarin@gmail.com	57,29,489.00 रुपये	स्थानीय
10	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के बांध और पावर हाउस डिवीजन के विभिन्न साइट कैम्पों, सर्वेक्षण और अन्य आवश्यक कार्यों के संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करना	मेसर्स ईस्टर्न एंटरप्राइजेज, चेता, पोस्ट ऑफिस रोड़ंग, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश, पिन- 792110	44,49,753.00 रुपये	स्थानीय
वित्तीय वर्ष -2023-2024					
1	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 24 माह के लिए चालक के साथ, ईंधन के बिना एक (01) महिंद्रा स्कोर्पियो मॉडल क्लासिक एस एमटी 7 एस या उच्चतर किराए पर लेना।	मेसर्स चिंबू लिंग्गी, नया एंडोलिन, अनिनी, दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश -792101	1441200.00 रुपये	पीएएफ
2	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 24 माह के लिए चालक के साथ, ईंधन के बिना दो (02) महिंद्रा बोलेरो मॉडल बी4 या उच्चतर उपलब्ध कराना।	एम/एस एलिशा लिंग्गी, रोड़ंग, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश -792110	2335200 रुपये	पीएएफ
3	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 24 माह के लिए चालक के साथ, ईंधन के बिना एक (01) महिंद्रा बोलेरो मॉडल बी4 या उच्चतर और एक (01) महिंद्रा कैपर (4 डब्ल्यूडी) उपलब्ध कराया जा रहा है।	मेसर्स चिंबू लिंग्गी, नया एंडोलिन, अनिनी, दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश -792101	2304480 रुपये	पीएएफ

4	सेवा	12 माह के लिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के चिकित्सा प्रभाग के संचालन एवं रखरखाव हेतु सेवाएं प्रदान करना	एल डी एंटरप्राइज, न्यू लेकोप, न्यू लेकोप हुनली, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश-792110	2432434.4 रुपये	स्थानीय
5	कार्य	चिमरी कॉलोनी, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, रोड़ंग, लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में अस्थायी डी.जी. शेड का निर्माण	मैसर्स आरआर प्रोजेक्ट्स, एज़ेंगो, पीओ/पीएस-रोड़ंग, पीओ/पीएस-रोड़ंग, जिला-लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश-792110	20,01,610.00 रुपये	स्थानीय
6	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, रोड़ंग के लिए ड्राइवर के साथ दो (02) महिंद्रा स्कॉर्पियो मॉडल क्लासिक एस डीजल या उच्चतर/समतुल्य को किराए पर लेना।	एम/एस इम्बे मिटो, लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश-792110,	2688000 रुपये	पीएएफ
7	सेवा	एक (01) महिंद्रा बोलेरो मॉडल बी4 (डीजल) या उच्चतर को ड्राइवर के साथ किराये पर लेना	श्री राजेन डेले, ब्रिली बस्ती, रोड़ंग सर्कल, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश-792110	11,14,320 रुपये	पीएएफ
8	सेवा	एक (01) महिंद्रा बोलेरो मॉडल बी4 (डीजल) या उच्चतर को ड्राइवर के साथ किराये पर लेना	श्री राजेन डेले, ब्रिली बस्ती, रोड़ंग सर्कल, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश-792110	11,69,280 रुपये	पीएएफ
वित्तीय वर्ष -2024-2025					
1	कार्य	मुनली दायॉ तट, न्यू अपाली और विभिन्न स्थानों पर अस्थायी भवन के 06 ब्लॉकों (प्रत्येक ब्लॉक में 04 कमरे) का निर्माण, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश।	मेसर्स आर.आर. प्रोजेक्ट्स एज़ेंगो, रोड़ंग ए-सेक्टर, पी.ओ./पी.एस. नाहरलागुन, जिला. - लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश- 792110	1,09,40,373.00 रुपये	स्थानीय
2	कार्य	एनएचपीसी चिमरी कॉलोनी भूमि की स्थायी चारदीवारी के साथ चेको नाले पर वायर क्रेट्स में बोल्टड एप्रन उपलब्ध कराना और बिछाना	मेसर्स के एल एंटरप्राइजेज, एज़ेंगो, पीओ/पीएस- रोड़ंग, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश	11,58,693.00 रुपये	पीएएफ
3	कार्य	राइट बैंक मुनली कैंप में अस्थायी आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों का आंतरिक विद्युतीकरण, 2880 मेगावाट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना	मेसर्स जे एन ट्रेडर्स, पो: हुनली-देशाली, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश.	8,30,226.00 रुपये	स्थानीय
4	कार्य	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, रोड़ंग, लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य कार्यालय परिसर के चारों ओर स्प्लिट बांस की बाड़ लगाना और प्रदान करना।	मैसर्स चुमी इंटरप्राइजेज चेता-1, पीओ/पीएस-रोड़ंग लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश	2,00,000.00 रुपये	पीएएफ
5	सेवा	डीएमपी के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों सहित स्थानीय लोगों के लिए 03 बोलेरो वाहन 02 वर्षों के लिए किराये पर लेना (तीन (03) महिंद्रा बोलेरो मॉडल बी4 (डीजल) या उच्चतर को	मैसर्स केन्जिंग गैमनो कालेक, रोड़ंग, लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश-792110	35,28,000.00 रुपये	पीएएफ

		चालक और ईंधन (प्रतिपूर्ति योग्य) के साथ दो वर्षों के लिए किराये पर लेना।			
6	सेवा	डीएमपी के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों सहित स्थानीय लोगों के लिए 02 बोलेरो वाहन 02 वर्षों के लिए किराये पर लेना। (दो (02) महिंद्रा बोलेरो मॉडल बी4 (डीजल) या उच्चतर को चालक और ईंधन (प्रतिपूर्ति योग्य) के साथ दो वर्षों के लिए किराये पर लेना।)	मैसर्स एंगगम एंटरप्राइजेज बोलुंग, रोड़ंग, लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश-792110	22,08,000.00 रुपये	पीएएफ
7	सेवा	डीएमपी के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों सहित स्थानीय लोगों के लिए 03 बोलेरो वाहन 02 वर्षों के लिए किराये पर लेना। (तीन (03) महिंद्रा बोलेरो मॉडल बी4 (डीजल) या उच्चतर को चालक और ईंधन (प्रतिपूर्ति योग्य) के साथ दो वर्षों के लिए किराये पर लेना।)	मेसर्स एल. डी. एंटरप्राइज न्यू लेकोप, न्यू लेकोप हुनली, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश-792110	35,99,928.00 रुपये	पीएएफ
8	सेवा	तीन (03) महिंद्रा स्कॉर्पियो एन मॉडल जेड2 (डीजल) या उच्चतर वाहन को चालक और ईंधन (प्रतिपूर्ति योग्य) के साथ दो वर्ष के लिए किराये पर लिया जाना है।	मैसर्स गीति मिलि मयू-आई, रोड़ंग, रोड़ंग, लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश-792110, -	45,00,000.00 रुपये	पीएएफ
9	सेवा	12 माह के लिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के भूमि अधिग्रहण, आरएंडआर और पर्यावरण प्रभागों के संचालन और रखरखाव के लिए सेवाएं प्रदान करना।	मैसर्स केपांग ट्रेडर्स ई-8, रेमी, दांबुक लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश-792110	41,74,108.00 रुपये	स्थानीय
10	सेवा	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, रोड़ंग, अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न फील्ड हॉस्टलों में संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करना।	मेसर्स एचएम फ्रंटियर अबांगो, रोड़ंग, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश-792110, भारत	56,95,105.00 रुपये	स्थानीय
11	सेवा	12 माह के लिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के विद्युत प्रभाग के संचालन एवं रखरखाव हेतु सेवाएं प्रदान करना	मेसर्स बोमी तुयिर कंस्ट्रक्शन्स बोमजीर, बोमजीर, लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश-792110	37,70,669.00 रुपये	स्थानीय
12	सेवा	12 माह के लिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के आईटी एवं सी प्रभाग के संचालन एवं रखरखाव हेतु की सेवाएं प्रदान करना	मेसर्स बोमी तुयिर कंस्ट्रक्शन्स बोमजीर, बोमजीर, लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश-792111	15,31,051.00 रुपये	स्थानीय
कार्य - आदेश					
13	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर महिंद्रा बोलेरो बी6 बीएस-VI को किराये पर लेना।	मेसर्स अनीता डेले	5,28,000.00 रुपये	पीएएफ

14	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर महिंद्रा बोलेरो बी6 बीएस-VI को किराये पर लेना।	मेसर्स अनीता डेले	5,28,000.00 रुपये	पीएएफ
15	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर स्कॉर्पियो-एन डी एम को किराए पर लेना	मेसर्स युपी पोचा	6,72,000.00 रुपये	पीएएफ
16	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर महिंद्रा बोलेरो नियो एन10 को किराये पर लेना।	मेसर्स साइन मेगा	5,28,000.00 रुपये	पीएएफ
17	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर महिंद्रा बोलेरो नियो एन10 को किराये पर लेना।	मेसर्स साइन मेगा	5,28,000.00 रुपये	पीएएफ
18	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर स्कॉर्पियो क्लासिक एस एमटी 9 एस को किराये पर लेना।	मेसर्स अपोमो लिंगी	6,72,000.00 रुपये	पीएएफ
19	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर स्कॉर्पियो क्लासिक 2.2 एस एमटी बीएस VI को किराये पर लेना।	मेसर्स अपोमो लिंगी	3,18,000.00 रुपये	पीएएफ
20	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर महिंद्रा स्कॉर्पियो एस10 को किराये पर लेना।	मेसर्स अपोमो लिंगी	3,18,000.00 रुपये	पीएएफ
21	सेवा	कार्य आदेश के आधार पर इनोवा क्रिस्टा 2.4 जीएक्स/फॉर्च्यूनर किराए पर लेना	मेसर्स लिंगी लेमो एंटरप्राइज	5,10,000.00 रुपये	पीएएफ
22	कार्य	एनएचपीसी लिमिटेड के दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के साइट कार्यालय के लिए मुनली राइट बैंक में नए कार्यालय के चारों ओर विभाजित बांस की बाड़ लगाना और प्रदान करना	मेसर्स चुमी इंटरप्राइजेज चेता-1, पीओ/पीएस-रोइंग लोअर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश	2,40,207.00 रुपये	पीएएफ
23	कार्य	न्यू अपाली (पथार कैंप, डीएमपीपी अरुणाचल प्रदेश) में पोर्टेबल कंटेनर के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण	एम/एस ड्रैगो कंस्ट्रक्शन, अनिनी, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश	9,54,613.00 रुपये	पीएएफ

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4566

दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

जलविद्युत परियोजनाओं की क्षमता

4566. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में संचलित जलविद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता राज्यवार कितनी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या तथा उनकी अनुमानित उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों को रोजगार तथा विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) (>25 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता लगभग 42,222 मेगावाट है। विवरण अनुबंध-I पर है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, 12,689 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 36 एचईपी वर्ष 2029-30 तक क्षमता वृद्धि योजना के अंतर्गत हैं। विवरण अनुबंध-II पर है।

(ग) : परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) और स्थानीय समुदायों को नीचे उल्लिखित विभिन्न उपायों के अंतर्गत रोजगार और विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं:

- स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% मुफ्त विद्युत निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य परियोजना की कार्यवाही में निरंतर और सतत आधार पर, आय सृजन और कल्याणकारी स्कीमों के लिए नियमित रूप से राजस्व प्रदान करना, अतिरिक्त अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का निर्माण करना आदि है।
- सक्षम अवसंरचना, अर्थात् सड़कों, पुलों, रोपवे, रेलवे साइडिंग, संचार अवसंरचना और पारेषण लाइन की लागत के लिए बजटीय सहायता। यह दूरदराज और पहाड़ी परियोजना स्थानों में अवसंरचना में सुधार करता है।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) स्कीम के अंतर्गत प्रत्यक्ष रोजगार और साथ ही संविदाकारों जिन्हें संचालन और रखरखाव/सेवा संविदा अबाई किए जाते हैं, द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार।
- स्कूलों के विकास/नवीनीकरण, अस्पतालों, सड़कों, जलापूर्ति स्कीमों, सामुदायिक हॉल, स्ट्रीट लाइटिंग, सामुदायिक शौचालय आदि सहित स्थानीय क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए सीएसआर निधियों का आवंटन।

देश में जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	स्टेशन	संस्थापित क्षमता (दिनांक 28.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार) (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	राज्य	एपीजेनको	लोअर सिलेरू	460
2				एन जे सागर आरबीसी और एक्सटेंशन।	90
3				एन जे सागर टीपीडी	50
4				श्रीशैलम	770
5				अपर सिलेरू-1 और II	240
				कुल (आंध्र प्रदेश)	1610
6	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	नीपको लिमिटेड	कामेंग	600
7				पारे	110
8				रंगानदी	405
				कुल (अरुणाचल प्रदेश)	1115
9	असम	केंद्रीय	नीपको लिमिटेड	खांडोंग	50
10				कोपोली	200
11		राज्य	एपीजीसीएल	कार्बी लंगपी	100
				कुल (असम)	350
12	छत्तीसगढ़	राज्य	सीएसपीजीसीएल	हसदेवबांगो	120
				कुल (छत्तीसगढ़)	120
13	गुजरात	राज्य	जीएसईसीएल	उकाई	300
14			एसएसएनएनएल	सरदार सरोवर सीएचपीएच	250
				कुल (गुजरात)	550
15	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	बीबीएमबी	भाखड़ा लेफ्ट	630
16				भाखड़ा राइट	785
17				देहर	990
18				पोंग	396
19			एनएचपीसी लिमिटेड	बैरा सिउल	180
20				चमेरा-I	540
21				चमेरा-II	300
22				चमेरा-III	231
23				पारबती-III	520
24			एनएचपीसी लिमिटेड	कोलडैम	800
25			एसजेवीएन लिमिटेड	नाथपा झाकड़ी	1500
26				रामपुर	412
27		निजी	एडीएचपीएल	एलेन दुहांगन	192
28			ईपीपीएल	मलाना-II	100
29			जीबीएचपीपीएल	बुधिल	70
30			जीएमआर	बाजोली होली	180
31			एचएसपीसीएल	सोरांग	100
32			आईईपीएल	चांजू-I	36
33			जेएसडब्ल्यू एनर्जी	बासपा	300
34				करचम वांगटू	1045
35			एमपीसीएल	मलाणा	86
36		राज्य	एचपीपीसीएल	एकीकृत कशांग	195
37				सेंज	100
38				सांवरा कुड्डू	111

39			एचपीएसईबीएल	बस्सी	66
40				गिरी बाटा	60
41				लारजी	126
42				संजय	120
43			पीएसपीसीएल	शानन	110
				कुल (हि. प्र.)	10281
44	जम्मू और कश्मीर	केंद्रीय	एनएचपीसी लिमिटेड	दुलहस्ती	390
45				किशनगंगा	330
46				सलाल-1&II	690
47				सेवा-II	120
48				उरी-I	480
49				उरी-II	240
50		राज्य	केएसपीडीसीएल	बगलिहार-I	450
51				बगलिहार-II	450
52				लोअर झेलम	105
53				ऊपरी सिंध-II	105
				कुल (जम्मू-कश्मीर)	3360
54	झारखंड	केंद्रीय	डीवीसी	पंचेत	80
55		राज्य	जेयूएनएल	सुबर्णरेखा-I	65
56				सुबर्णरेखा-II	65
				कुल (झारखंड)	210
57	कर्नाटक	राज्य	एपीजेनको	हम्पी	36
58				टी बी बांध	36
59			केपीसीएल	अलमाटी	290
60				भद्र	26
61				गेरुसोप्पा (शरावथी टेल रेस)	240
62				घट प्रभा	32
63				कादरा	150
64				कालीनदी (नागझारी)	900
65				कालीनदी (सुपा)	100
66				कोडासाली	120
67				लिंगनमक्की	55
68				महात्मा गांधी (जोग)	139
69				मुनीराबाद	28
70				शरावथी	1035
71				शिवसमुद्रम	42
72				वराही	460
				कुल (कर्नाटक)	3689
73	केरल	राज्य	केएसईबीएल	इदमलयार	75
74				इडुक्की	780
75				कक्कड	50
76				कुट्टियाडी	75
77				कुट्टियाडी अतिरिक्त एक्सटेंशन।	100
78				कुट्टियाडी एक्सटेंशन.	50
79				लोअर पेरियार	180
80				नारियामंगलम	52.65
81				पल्लीवसल	37.5
82				पन्नियार	30
83				पोरिंगलकुट्टू	32
84				सबिरीगिरी	300
85				संगुलम	48
86				शोलायार	54
87				थोटियार	40

				कुल (केरल)	1904
88	लद्दाख	केंद्रीय	एनएचपीसी लिमिटेड	चुटक	44
89				निम्मू बाज़गो	45
				कुल (लद्दाख)	89
90	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	एनएचडीसी	इंदिरा सागर	1000
91				ओंकारेश्वर	520
92		राज्य	एमपीपीजीसीएल	बाणसागर टॉस-I	315
93				बाणसागर टॉस-II	60
94				बाणसागर टॉस-III	30
95				बरगी	90
96				गांधीसागर	115
97				मढीखेरा	60
98				राजघाट	45
				कुल (म.प्र.)	2235
99	महाराष्ट्र	निजी	डीएलएचपी	भंडारधारा चरण-II	34
100			टीपीसीएल	भीरा	150
101				भिवपुरी	75
102				खोपोली	72
103		राज्य	महाजेनको	भीरा टेल रेस	80
104				कोयना डीपीएच	36
105				कोयना-I&II	600
106				कोयना-III	320
107				कोयना-IV	1000
108				तिलारी	60
109				वैतरणा	60
110			एमपीपीजीपीसीएल	पेंच	160
				कुल (महाराष्ट्र)	2647
111	मणिपुर	केंद्रीय	एनएचपीसी लिमिटेड	लोकटक	105
				कुल (मणिपुर)	105
112	मेघालय	राज्य	एमईपीजीसीएल	किर्डमकुलई	60
113				मिंटडू चरण-I	126
114				न्यू उम्नु	40
115				उमियाम चरण-I	36
116				उमियाम चरण-IV	60
				कुल (मेघालय)	322
117	मिजोरम	केंद्रीय	नीपको लिमिटेड	तुइरिअल	60
				कुल (मिजोरम)	60
118	नागालैंड	केंद्रीय	नीपको लिमिटेड	दोयांग	75
				कुल (नागालैंड)	75
119	ओडिशा	राज्य	एपीजेनको	मचकुंड	114.75
120			ओएचपीसी	बालीमेला	510
121				हीराकुंड (चिपलीमा)	72
122				हीराकुंड (बुर्ला)	287.8
123				रेंगाली	250
124				ऊपरी इंद्रावती	600
125				अपर कोलाब	320
				कुल (ओडिशा)	2154.55
126	पंजाब	केंद्रीय	बीबीएमबी	गंगूवाल	77.65
127				कोटला	77.65
128		राज्य	पीएसपीसीएल	आनंदपुर साहिब-I	67
129				आनंदपुर साहिब-II	67
130				मुकेरियां-I	45
131				मुकेरियां-II	45
132				मुकेरियां-III	58.5

133				मुकेरियां-IV	58.5
134				रंजीत सागर	600
				कुल (पंजाब)	1096
135	राजस्थान	राज्य	आरआरवीयूएनएल	जवाहर सागर	99
136				माही बजाज-I	50
137				माही बजाज-II	90
138				आर पी सागर	172
				कुल (राजस्थान)	411
139	सिक्किम	केंद्रीय	एनएचपीसी लिमिटेड	रंगित	60
140				तीस्ता-V	510
141		निजी	डीईपीएल	जोरेथांग लूप	96
142			जीआईपीएल	चुजाचेन एचईपी	110
143			एमबीपीसीएल	रोंगनिचू	113
144			एसईपीएल	ताशिदिंग	97
145			स्नेहा काइनेटिक	डिक्चु	96
146		राज्य	एसयूएल	तीस्ता-III	1200
				कुल (सिक्किम)	2282
147	तमिलनाडु	राज्य	टैनजेडको	अलियार	60
148				भवानी कट्टलाई बैराज-I	30
149				भवानी कट्टलाई बैराज-II	30
150				भवानी कट्टलाई बैराज-III	30
151				कोडयार-I	60
152				कोडयार-II	40
153				कुंदह-I	60
154				कुंदह-II	175
155				कुंदह-III	180
156				कुंदह-IV	100
157				कुन्दह-V	40
158				लोअर मेट्टूर-I	30
159				लोअर मेट्टूर-II	30
160				लोअर मेट्टूर-III	30
161				लोअर मेट्टूर-IV	30
162				मेट्टूर बांध	50
163				मेट्टूर सुरंग	200
164				मोयर	36
165				पापनासम	32
166				पार्सन्स घाटी	30
167				पेरियार	161
168				पायकारा	59
169				पायकारा अल्टीमेट	150
170				साराकारपथी	30
171				शोलेयार-I	70
172				सुरुलियार	35
				कुल (तमिलनाडु)	1778
173	तेलंगाना	राज्य	टीएसजीईएनसीओ	लोअर जुराला	240
174				एन जे सागर एलबीसी	60
175				एन जे सागर एमपी	110
176				पोचमपाद	36
177				प्रियदर्शनी जुराला	234
178				पुलिनचिथला	120
				कुल (तेलंगाना)	800
179	उत्तर प्रदेश	राज्य	यूपीजेवीएनएल	खारा	72
189				माताटीला	30.6

181				ओबरा	99
182				रिहंद	300
				कुल (उत्तर प्रदेश)	501.6
183	उत्तराखंड	केंद्रीय	एनएचपीसी लिमिटेड	धौली गंगा	280
184				टनकपुर	94.2
185			एसजेवीएन लिमिटेड	नैटवार मोरी	60
186			टीएचडीसी लिमिटेड	कोटेश्वर	400
187				टिहरी चरण-I	1000
188		निजी	एएचपीसी लिमिटेड	श्रीनगर	330
189			जेपीवीएल	विष्णु प्रयाग	400
190			रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड	सिंगोली भटवारी	99
191		राज्य	यूजेवीएनएल	चिब्रो (यमुना)	240
192				चिल्ला	144
193				ढकरानी	33.75
194				ढालीपुर	51
195				खटीमा	41.4
196				खोदरी	120
197				कुल्हाल	30
198				मनेरी भाली-I	90
199				मनेरी भाली-II	304
200				रामगंगा	198
201				व्यासी	120
				कुल (उत्तराखंड)	4035
202	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	डीवीसी	मैथन	63
203			एनएचपीसी लिमिटेड	तीस्ता लो बांध -III	132
204				तीस्ता लो बांध-IV	160
205		राज्य	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	जलढाका	36
206				राममम	50
				कुल (पश्चिम बंगाल)	441
	कुल योग				42222

वर्ष 2029-30 तक क्षमता वृद्धि योजना के अंतर्गत जलविद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	डेवलपर	क्षेत्र	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	अवस्था
वित्तीय वर्ष 2024-25						
1	पार्वती-II	एनएचपीसी	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	800	निर्माणाधीन
2	पल्लीवसल	केएसईबी	राज्य	केरल	60	निर्माणाधीन
3	उहल-III	बीवीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	100	निर्माणाधीन
उप कुल (वित्तीय वर्ष 2024-25)					960	
वित्तीय वर्ष 2025-26						
1	सुबनसिरी लोअर*	एनएचपीसी	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	1250	निर्माणाधीन
2	रंगित-IV	एनएचपीसी	केंद्रीय	सिक्किम	120	निर्माणाधीन
3	निचली कोपिली	एपीजीसीएल	राज्य	असम	120	निर्माणाधीन
4	निचला सिलेरु एक्सटेंशन	एपीजेनको	राज्य	आंध्र प्रदेश	230	निर्माणाधीन
5	कुटेहर	जेएसडब्ल्यू	निजी	हिमाचल प्रदेश	240	निर्माणाधीन
उप कुल (वित्तीय वर्ष 2025-26)					1960	
वित्तीय वर्ष 2026-27						
1	सुबनसिरी लोअर*	एनएचपीसी	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	750	निर्माणाधीन
2	धौलासिद्ध	एसजेवीएन	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	66	निर्माणाधीन
3	पाकलदुल	सीवीपीपीएल	केंद्रीय	जम्मू एवं कश्मीर	1000	निर्माणाधीन
4	कीरू	सीवीपीपीएल	केंद्रीय	जम्मू एवं कश्मीर	624	निर्माणाधीन
5	विष्णुगाड पीपलकोटी	टीएचडीसी	केंद्रीय	उत्तराखंड	444	निर्माणाधीन
6	शाहपुर कंडी	पीएसपीसीएल	राज्य	पंजाब	206	निर्माणाधीन
7	टिडोंग-I	स्टेटक्राफ्ट इंडिया	निजी	हिमाचल प्रदेश	150	निर्माणाधीन
8	मनकुलम	लिमिटेड	राज्य	केरल	40	निर्माणाधीन
उप कुल (वित्तीय वर्ष 2026-27)					3280	
वित्तीय वर्ष 2027-28						
1	क्वार	सीवीपीपीएल	केंद्रीय	जम्मू एवं कश्मीर	540	निर्माणाधीन
2	तीस्ता-VI	एनएचपीसी	केंद्रीय	सिक्किम	500	निर्माणाधीन
3	परनाई	जेकेपीडीसी	राज्य	जम्मू एवं कश्मीर	38	निर्माणाधीन
4	चांजू-III	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	48	निर्माणाधीन
5	पोलावरम	पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	राज्य	आंध्र प्रदेश	960	निर्माणाधीन
उप कुल (वित्तीय वर्ष 2027-28)					2086	
वित्तीय वर्ष 2028-29						

1	सुन्नी बांध	एसजेवीएन	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	382	निर्माणाधीन
2	तपोवन विष्णुगढ़	एनटीपीसी	केंद्रीय	उत्तराखंड	520	निर्माणाधीन
3	रम्मम - III	एनटीपीसी	केंद्रीय	पश्चिम बंगाल	120	निर्माणाधीन
4	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना	यूजेवीएनएल	राज्य	उत्तराखंड	300	निर्माणाधीन
5	लूहरी-I	एसजेवीएन	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	210	निर्माणाधीन
6	रतले	एनएचपीसी	केंद्रीय	जम्मू एवं कश्मीर	850	निर्माणाधीन
7	न्यू गांदरवाल	जेकेपीडीसी	राज्य	जम्मू और कश्मीर	93	सहमत
8	उरी-I स्टेज-II	एनएचपीसी	केंद्रीय	जम्मू और कश्मीर	240	सहमत
9	टाटो-I	नीपको	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	186	सहमत
10	हेओ	नीपको	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	240	सहमत
11	शोंगटोंग करचम	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	450	निर्माणाधीन
उप कुल (वित्तीय वर्ष 2028-29)					3591	
वित्तीय वर्ष 2029-30						
1	दिखू	एनएमपीपीएल	निजी	नागालैंड	186	सहमत
2	थाना प्लाउन	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	191	सहमत
3	वाह उमियम चरण-III (मावफू चरण- II)	नीपको	केंद्रीय	मेघालय	85	सहमत
4	दुलहस्ती चरण- II	एनएचपीसी	केंद्रीय	जम्मू और कश्मीर	260	एस एंड आई
5	तीस्ता इंटरमीडिएट	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	राज्य	पश्चिम बंगाल	90	एस एंड आई
उप कुल (वित्तीय वर्ष 2029-30)					812	
कुल योग					12689	

*वर्ष 2025-26 के दौरान 5 यूनिट (1250 मेगावाट) और वर्ष 2026-27 के दौरान 3 यूनिट (750 मेगावाट) बनने की संभावना.

नोट: सहमति: सीईए द्वारा सहमति

एस एंड आई: सर्वेक्षण और जांच

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4570
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

उद्योगों में बिजली की खपत

4570. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में वार्षिक वृद्धि दर के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बिजली की मांग में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;
- (ग) क्या प्रत्येक राज्य बिजली की आपूर्ति और मांग को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में प्रत्येक वर्ष उद्योगों और घरों द्वारा खपत की जाने वाली बिजली की कुल मात्रा कितनी है; और
- (ङ) क्या उद्योगों और घरों में बिजली की खपत के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की वर्षवार खपत का ब्यौरा, जो मार्च, 2018 से मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। **अनुबंध-II** के अनुसार, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता का ब्यौरा, इस अवधि के दौरान 5% की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) दर्शाता है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति स्कीम (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी भारत सरकार की स्कीमों के कार्यान्वयन से विद्युत की पहुंच में काफी सुधार हुआ है और देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरों को विश्वसनीय और निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा, तेजी से आर्थिक विकास, शहरीकरण, बढ़ते जीवन स्तर और एयर कंडीशनर, अन्य उपकरणों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे ऊर्जा-

गहन उपकरणों के बढ़ते उपयोग जैसे कारक इस मांग में और योगदान करते हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित ऊष्णता वृद्धि और अस्थिर मानसून वर्षा भी विद्युत की बढ़ती मांग में योगदान करती है।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों का सहयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिह्नित किए गए घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी परिवारों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। सभी राज्यों में पीएम-जनमन के अंतर्गत चिह्नित किए गए पीवीटीजी परिवारों और डीए-जेजीयूए के अंतर्गत चिह्नित किए गए आदिवासी परिवारों सहित 10,19,030 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 21.9 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

(ग) : यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।

सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई।

(घ) और (ङ) : वित्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक देश में उद्योगों और घरों द्वारा खपत की गई विद्युत का ब्यौरा, जिसमें इस अवधि के दौरान वृद्धि दर भी दर्शाई गई है, **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

मार्च, 2018 से मार्च, 2024 तक देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की वर्षवार खपत तथा वार्षिक वृद्धि दर का विवरण

वित्त वर्ष	प्रति व्यक्ति खपत (किलोवाट घंटा)	वार्षिक वृद्धि दर (%)
31.03.2018	1,149	
31.03.2019	1,181	2.79
31.03.2020	1,208	2.29
31.03.2021	1,161	-3.89*
31.03.2022	1,255	8.10
31.03.2023	1,331	6.06
31.03.2024	1,395	4.81

* कोविड समय

ऊर्जा आवश्यकता का विवरण जिसमें वृद्धि दर और चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाया गया है

वित्त वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	विकास %	सीएजीआर
	(एमयू)	%	%
2018-19	12,74,595		5.0
2019-20	12,91,010	1.29	
2020-21*	12,75,534	-1.20	
2021-22	13,79,812	8.18	
2022-23	15,13,497	9.69	
2023-24	16,26,132	7.44	

*कोविड समय

वित्त वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2022-23 तक देश में उद्योगों और घरों द्वारा खपत की गई बिजली का मिलियन यूनिट (एमयू) में ब्यौरा

वर्ष	घरेलू	विकास %	औद्योगिक	विकास %
2017-18	2,73,545.02		4,68,613.30	
2018-19	2,88,243.11	5.37	5,19,196.29	10.79
2019-20	3,08,745.00	7.11	5,32,820.00	2.62
2020-21	3,30,808.94	7.15	5,08,776.19	-4.51*
2021-22	3,39,780.47	2.71	5,56,480.96	9.38
2022-23	3,53,156.08	3.94	5,93,895.17	6.72

* कोविड समय

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4576
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियां

4576. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक ही क्षेत्र में एक या दो विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुमानित देने से केवल एक या दो कम्पनियों का ही एकाधिकार होता है;

(ख) यदि हां, तो है क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम पांच कम्पनियों का होना अनिवार्य घोषित किया जाए, ताकि कार्यकुशलता बढ़ाने की सरकार की अपेक्षा पूरी हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 वितरण क्षेत्र में लाइसेंसधारियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग एक ही क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए अनेक लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4592

दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

4592. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और इसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आरडीएसएस के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बजट आवंटन का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- (i) इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है।
- (ii) इस स्कीम का उद्देश्य स्कीम अवधि के अंत तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर अंतर) के बीच के अंतर को शून्य करना है।
- (iii) इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं:
 - भाग 'क'- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना का उन्नयन
 - भाग 'ख'- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षमकारी गतिविधियाँ।

इस स्कीम के अंतर्गत वितरण कम्पनियों (निजी क्षेत्र की कम्पनियों को छोड़कर) को हानि न्यूनीकरण अवसंरचनात्मक कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे देश में विद्युत की आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

स्कीम के अंतर्गत, संस्वीकृत हानि न्यूनीकरण परियोजनाओं में अनावृत कंडक्टरों को आवृत कंडक्टरों से बदलना, लो टेंशन एरियल बंचड (एलटी एबी) केबल बिछाना, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)/उप-स्टेशनों का उन्नयन/संवर्द्धन, फीडर पृथक्करण कार्य आदि शामिल हैं। संस्वीकृत कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और हानि न्यूनीकरण कार्यों की अब तक की वास्तविक प्रगति ~24% है। इसके अलावा, उन्नत मीटरिंग

अवसंरचना (एएमआई) के हिस्से के रूप में 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** पर दिया गया है। आरडीएसएस के अंतर्गत 26,485.9 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) की सम्मिलित स्कीमों के तहत खर्च की गई निधि शामिल है। आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण कार्यों पर खर्च की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार आरडीएसएस के अंतर्गत सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) अवधि के दौरान छूटे हुए सभी घरों के विद्युतीकरण का सहयोग कर रही है। जहां भी व्यवहार्य पाया गया, आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। आज तक, 10,19,030 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। इसमें सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिह्नित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत चिह्नित किए गए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित घरों का ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना यूटिलिटी के प्रचालनात्मक और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर है, जिसने भारत सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा यूटिलिटी को जारी की जाने वाली सब्सिडी और सरकारी विभाग के बकाए के भुगतान में अनुशासन लाने, टैरिफ आदेश को नियमित रूप से जारी करने, खातों को प्रकाशित करने, विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करने आदि में सहायता की है। केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 16.28% हो गयी हैं और एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 21 में 0.71 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 24 में 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

(ख) : आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए संस्वीकृत परियोजना/आवंटित बजट का जिलावार विवरण **अनुबंध-V** पर है।

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण अवसंरचना कार्य

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्य की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग की संस्वीकृत लागत	कुल संस्वीकृत परियोजना लागत
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	462.01	53.56	515.57
आंध्र प्रदेश	10,709.93	4,127.85	14,837.78
अरुणाचल प्रदेश	1,042.04	183.56	1,225.60
असम	3,394.65	4,049.54	7,444.18
बिहार	8,406.20	2,021.21	10,427.42
छत्तीसगढ़	3,964.19	4,105.31	8,069.51
दिल्ली	323.63	13.38	337.01
गोवा	247.08	469.17	716.25
गुजरात	6,089.11	10,641.96	16,731.07
हरियाणा	6,796.63	-	6,796.63
हिमाचल प्रदेश	2,327.25	1,788.49	4,115.74
जम्मू एवं कश्मीर	4,770.90	1,063.62	5,834.51
झारखंड	3,343.88	858.02	4,201.89
कर्नाटक	35.9	-	35.9
केरल	3,017.65	8,231.21	11,248.86
लद्दाख	875.78	-	875.78
मध्य प्रदेश	9,425.74	8,910.65	18,336.39
महाराष्ट्र	17,209.27	15,214.95	32,424.22
मणिपुर	615.41	121.16	736.57
मेघालय	1,232.19	309.56	1,541.74
मिजोरम	318.68	181.61	500.29
नागालैंड	460.73	207.57	668.3
पुदुचेरी	84.39	251.1	335.48
पंजाब	3,873.37	5,768.50	9,641.87
राजस्थान	17,427.25	9,714.80	27,142.06
सिक्किम	416.24	97.45	513.69
तमिलनाडु	9,567.71	19,235.36	28,803.08
तेलंगाना	120.42	-	120.42
त्रिपुरा	598.28	318.55	916.83
उत्तर प्रदेश	21,660.73	18,956.29	40,617.02
उत्तराखंड	1,717.13	1,106.03	2,823.15
पश्चिम बंगाल	7,222.57	12,670.45	19,893.01
कुल योग	1,47,756.95	1,30,670.88	2,78,427.83

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्मार्ट मीटरिंग कार्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता मीटर (संख्या)		वितरण ट्रांसफार्मर मीटर (संख्या)		फीडर मीटर (संख्या)	
	संस्वीकृत	संस्थापित	संस्वीकृत	संस्थापित	संस्वीकृत	संस्थापित
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	83,573	-	1,148		114	-
आंध्र प्रदेश	56,08,846	12,33,450	2,93,140	2,139	17,358	2,174
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	136	10,116	45	688	227
असम	63,64,798	28,14,572	77,547	52,814	2,782	2,858
बिहार	23,50,000	18,26,110	2,50,726	96,421	6,427	5,540
छत्तीसगढ़	59,62,115	14,04,738	2,10,644	33,846	6,720	5,445
दिल्ली			766		2,755	
गोवा	7,41,160	-	8,369	-	827	-
गुजरात	1,64,81,871	8,41,941	3,00,487	67,321	5,229	
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	1,99,092	39,012	5,328	1,951	534
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	66,979	88,037	183	2,608	1,401
झारखंड	13,41,306	81,182	19,512		1,226	421
केरल	1,32,89,361	-	87,615		6,025	-
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	16,51,411	4,19,396	22,594	29,708	9,538
महाराष्ट्र	2,35,64,747	12,41,910	4,10,905	1,15,550	29,214	28,700
मणिपुर	1,54,400	5,964	11,451		357	100
मेघालय	4,60,000	-	11,419		1,324	-
मिजोरम	2,89,383	-	2,300		398	-
नागालैंड	3,17,210	-	6,276		392	-
पुदुचेरी	4,03,767	-	3,105		180	-
पंजाब	87,84,807	-	1,84,044		12,563	-
राजस्थान	1,42,74,956	-	4,34,608		27,128	11,416
सिक्किम	1,44,680	16,450	3,229	233	633	432
तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500		18,274	
त्रिपुरा	5,47,489	27,494	14,908	2	473	417
उत्तर प्रदेश	2,69,79,055	13,44,129	15,26,801	53,388	20,874	22,545
उत्तराखंड	15,87,870	47,184	59,212	3,460	2,602	2,380
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	3,28,016	3,05,419	-	11,874	2,068
आरडीएसएस-कुल	19,79,24,901	1,31,30,758	52,52,692	4,53,324	2,10,704	96,196

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत हानि न्यूनीकरण कार्य, केंद्रीय सकल बजटीय सहायता और आरडीएसएस के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान का संचयी व्यय

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हानि न्यूनीकरण कार्यों की संस्वीकृत लागत	संस्वीकृत केंद्रीय सकल बजटीय सहायता	संस्वीकृत केंद्रीय सकल बजटीय सहायता
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	462.01	415.81	0
आंध्र प्रदेश	10,709.93	6,425.95	1461.67
अरुणाचल प्रदेश	1,042.04	937.84	41.72
असम	3,394.65	3,055.18	1055.83
बिहार	8,406.20	5,043.72	2286.71
छत्तीसगढ़	3,964.19	2,378.52	515.18
दिल्ली	323.63	194.18	0
गोवा	247.08	148.25	14.61
गुजरात	6,089.11	3,653.46	1188.04
हरियाणा	6,796.63	4,077.98	234.58
हिमाचल प्रदेश	2,327.25	2,094.53	86.73
जम्मू एवं कश्मीर	4,770.90	4,293.81	1014.3
झारखंड	3,343.88	2,006.33	208.4
कर्नाटक	35.9	21.54	1.11
केरल	3,017.65	1,810.59	175.58
लद्दाख	875.78	788.20	77.66
मध्य प्रदेश	9,425.74	5,655.44	1927.02
महाराष्ट्र	17,209.27	10,325.56	2463
मणिपुर	615.41	553.87	93.56
मेघालय	1,232.19	1,108.97	167.09
मिजोरम	318.68	286.82	46.89
नागालैंड	460.73	414.66	10.43
पुदुचेरी	84.39	50.63	0.17
पंजाब	3,873.37	2,324.02	229.36
राजस्थान	17,427.25	10,456.35	1603.56
सिक्किम	416.24	374.62	35.16
तमिलनाडु	9,567.71	5,740.63	541.76
तेलंगाना	120.42	72.25	1.99
त्रिपुरा	598.28	538.45	141.4
उत्तर प्रदेश	21,660.73	12,996.44	3981.24
उत्तराखंड	1,717.13	1,545.41	109.19
पश्चिम बंगाल	7,222.57	4,333.54	796.95
कुल योग	1,47,756.94	94,123.55	20,510.89

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्य

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रु.)	केंद्रीय सकल बजटीय सहायता (करोड़ रु. में)	संस्वीकृत परिवारों की संख्या *
1	आंध्र प्रदेश	161.27	96.76	46,443
2	अरुणाचल प्रदेश	75.52	67.97	10,136
3	असम	785.55	706.99	1,27,111
4	बिहार	300.55	180.33	42,635
5	छत्तीसगढ़	366.66	219.99	72,788
8	हिमाचल प्रदेश	6.63	5.96	100
9	जम्मू एवं कश्मीर	77.1	69.39	10,730
10	झारखंड	81.6	48.96	13,314
11	कर्नाटक	35.9	21.54	5,844
12	केरल	7.07	4.24	1,482
14	मध्य प्रदेश	184.7	110.81	36,045
15	महाराष्ट्र	28.68	17.2	9,036
16	मणिपुर	214.44	193	36,972
17	मेघालय	435.7	392.13	50,501
18	मिजोरम	79.9	71.91	15,167
19	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
23	राजस्थान	499.52	299.71	2,08,592
25	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673
26	तेलंगाना	120.41	72.25	31,081
27	त्रिपुरा	104.52	94.08	19,853
28	उत्तर प्रदेश	964.48	578.69	2,58,700
29	उत्तराखंड	13.68	12.31	1,823
	कुल	4,643.32	3,344.75	10,19,030

* इसमें डीए-जेजीयूए के अंतर्गत चिह्नित 1,661 सार्वजनिक स्थानों का विद्युतीकरण शामिल है।

आर.डी.एस.एस. के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में संस्वीकृत परियोजना लागत और केंद्रीय बजटीय सहायता का जिलावार विवरण

(रुपये करोड़ में.)

क्रम. सं.	ज़िला	वितरण अवसंरचना कार्यों की संस्वीकृत लागत	वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए केंद्रीय जीबीएस संस्वीकृत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए केंद्रीय जीबीएस संस्वीकृत
1	आगरा	198.65	119.19	294.75	51.80
2	अलीगढ़	410.1	246.06	288.23	50.47
3	अंबेडकर नगर	158.42	95.05	215.20	43.28
4	अमेठी	130.39	78.23	215.20	43.28
5	औरैया	145.83	87.50	138.70	24.53
6	अयोध्या	174.52	104.71	215.21	43.28
7	आजमगढ़	171.61	102.97	380.99	69.92
8	बागपत	98.96	59.38	197.78	33.20
9	बहराईच	156.24	93.74	276.18	55.58
10	बलिया	294.8	176.88	199.15	36.46
11	बलरामपुर	130.42	78.25	137.07	27.40
12	बाँदा	196.66	118.00	201.36	35.38
13	बाराबंकी	197.86	118.72	215.20	43.28
14	बरेली	429.7	257.82	392.09	77.76
15	बस्ती	96.7	58.02	250.39	45.88
16	बिजनौर	341	204.60	509.03	85.65
17	शाहजहांपुर	266.37	159.82	263.12	50.59
18	बुलन्दशहर	362.56	217.54	465.98	78.19
19	चंदौली	90.77	54.46	158.62	28.96
20	चित्रकूट	129.48	77.69	112.29	19.79
21	देवरिया	160.31	96.19	245.29	45.24
22	एटा	231.84	139.10	154.83	27.30
23	इटावा	171.78	103.07	127.31	22.13
24	फर्रुखाबाद	169.61	101.77	142.43	25.10
25	फतेहपुर	369.94	221.96	236.43	42.90
26	फिरोजाबाद	295.55	177.33	223.33	38.73
27	गौतमबुद्ध नगर (नोएडा सहित)	1503.75	902.25	249.51	42.64
28	गाजियाबाद	236.45	141.87	645.62	111.72
29	गाजीपुर	209.74	125.84	277.28	50.39
30	गोंडा	367.43	220.46	294.29	58.85
31	गोरखपुर	194.14	116.48	324.10	59.23
32	हमीरपुर	107.93	64.76	135.08	23.73
33	हापुड	183.73	110.24	205.15	34.71
34	हरदोई	221.98	133.19	209.41	42.13
35	हाथरस	163.16	97.90	178.19	31.27
36	जालौन	169.54	101.72	175.80	30.99
37	जौनपुर	327.42	196.45	381.55	69.70

क्रम. सं.	ज़िला	वितरण अवसंरचना कार्यों की संस्वीकृत लागत	वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए केंद्रीय जीबीएस संस्वीकृत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए केंद्रीय जीबीएस संस्वीकृत
38	झांसी	200.58	120.35	210.37	37.35
39	अमरोहा (जे.पी.नगर)	131.27	78.76	256.36	42.79
40	कन्नौज	133.95	80.37	155.00	27.31
41	कानपुर देहात	117.28	70.37	177.87	31.32
42	कानपुर नगर	1444.81	866.89	503.78	100.71
43	काशगंज (काशीराम नगर)	217.2	130.32	136.95	24.18
44	कौशांबी	237.05	142.23	133.51	24.21
45	कुशीनगर	134.52	80.71	264.16	48.82
46	लखीमपूर-खिरी	196.77	118.06	360.59	72.69
47	ललितपुर	119.48	71.69	103.26	18.29
48	लखनऊ	938	562.80	669.63	136.66
49	महाराजगंज	74.96	44.98	261.19	48.38
50	महोबा	96.8	58.08	97.83	17.34
51	मैनपुरी	173.02	103.81	190.64	33.39
52	मथुरा	326.08	195.65	243.50	42.52
53	मऊ	223.73	134.24	207.42	38.05
54	मेरठ	327.66	196.60	433.70	74.01
55	मिर्जापुर	169.42	101.65	213.75	38.42
56	मुरादाबाद	278.19	166.91	401.79	68.54
57	मुजफ्फरनगर	269.37	161.62	406.76	68.45
58	पीलीभीत	199.03	119.42	202.70	40.64
59	प्रतापगढ़	355.37	213.22	296.68	54.08
60	प्रयागराज	806.94	484.16	309.89	56.14
61	रायबरेली	228.42	137.05	352.41	70.93
62	रामपुर	142.69	85.61	276.35	46.83
63	सहारनपुर	448.68	269.21	475.51	79.50
64	संभल	487.74	292.64	216.90	36.63
65	संत कबीर नगर	39.9	23.94	152.24	28.10
66	संत रवि दास नगर (भदोई)	131.93	79.16	126.19	22.76
67	शाहजहांपुर	230.89	138.53	233.15	46.88
68	शामली	106.05	63.63	206.45	34.37
69	श्रावस्ती	75.72	45.43	123.77	25.06
70	सिद्धार्थनगर	195.43	117.26	206.76	38.17
71	सीतापुर	221.41	132.85	183.08	36.69
72	सोनभद्र	204.08	122.45	172.79	31.48
73	सुल्तानपुर	158.85	95.31	215.20	43.28
74	उन्नाव	167.64	100.58	235.85	47.21
75	वाराणसी	1,803.63	1082.18	139.36	24.97
	कुल	21,079.88	12,647.93	18,885.46	3,458.56
